

i kDdFku

लोकतंत्र में शासन जनता का होता है और उसे जनता के लिए जनता के द्वारा संचालित किया जाता है। भारतीय संविधान राजभोगी लोकतंत्र के सिद्धान्त पर आधारित है। शासन व्यवस्था में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये नागरिकों द्वारा चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। संविधान की यह मान्यता है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की इच्छा व आकांक्षा के अनुरूप संविधान सम्मत शासन का संचालन व नीतियों का निर्धारण इस प्रकार से हो कि , प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये शासन को हर स्तर पर जनता के प्रति जबाबदेह होना आवश्यक है। यह तभी संभव है , जब नागरिकों को शासन व उसके अधीन समस्त प्रशासनिक इकाइयों के क्रियाकलापों की उन सारी सूचनाओं को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो, जो उनसे जुड़ी हैं या जो जनहित में आवश्यक हो ।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 2003 में राज्य शासन ने मध्यप्रदेश जानकारी की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 (क्रमांक 3 सन् 2003) पारित किया व अब केन्द्र शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील किया गया है।

नगर / नगर पंचायत बिलौआ मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत गठित एक नियमित निकाय है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक " लोक प्राधिकारी" है । नगर पालिका परिषद के कार्य व कर्तव्य नागरिकों से सीधे जुड़े हुए हैं । अतः नागरिकों को नगर व नागरिकों के लिये निर्धारित की जाने वाली नीति, स्वीकृत योजनाएं व नगर पालिका व उसके अधिकारियों व कर्मचारियों के अधिकार व कर्तव्य तथा कार्यप्रणाली की समग्र जानकारी नागरिकों को एक स्थान पर प्राप्त हो सके, इसी उद्देश्य से अधिनियम की धारा-4 में वर्णित समस्त जानकारी समाहित करके यह हस्त पुस्तिका तैयार की गई है।

इस हस्तपुस्तिका में अंकित जानकारी व सूचना से अधिक जानकारी या किसी अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

v/; k; & , d
l œBu dh fof' kf"V; kW] dR; , oa drD;

नगर पंचायत बिलौआ जिला ग्वालियर की स्थापना वर्ष 1981 की गई । वर्तमान में म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 व उसके अन्तर्गत बनाये गये, नियमों से वह अपने कर्तव्यों को सम्पादित कर रही है।

परिषद के मुख्य कर्तव्य व कार्यों का विवरण नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 123 में विनिर्दिष्ट है। जो निम्नानुसार है :-

- (क) सार्वजनिक पथों, स्थानों तथा भवनों को प्रकाशित करना।
- (ख) सर्वाजनिक पथों, स्थानों तथा मल-नालियों और ऐसे समस्त स्थानों को साफ करना, जो प्राइवेट सम्पत्ति न हों, और जो सार्वजनिक उपयोग के लिए खुले हों, भले ही ऐसे स्थान परिषद में निहित हों या न हो, हानिकारक घासपात को हटाना और समस्त सार्वजनिक न्यूसेंस का उपषमन करना।
- (ग) विष्टा तथा कूड़ा, करकट का व्ययन करना और विष्टा तथा कूड़ा करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करना।
- (घ) आग बुझाना और आग लग जाने की दशा में जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा करना।
- (ङ.) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों का विनियम या उपषमन करना।
- (च) सार्वजनिक पथों या स्थानों में से तथा ऐसे स्थलों में से, जो प्राइवेट सम्पत्ति न हो, और जो सर्वसाधारण के उपभोग के लिए खुले हो, भले ही ऐसे स्थल परिषद, में निहित हों या राज्य सरकार में निहित हों, बाधाओं तथा प्रक्षेपित भागों को हटाना।
- (छ) मृतकों की अन्त्येष्टि के लिए स्थान अर्जित करना, उनका अनुरक्षण करना, उसमें तब्दीली तथा उनका विनियमन करना।
- (ज) महामारी या अन्य अकल्पित आपात-स्थिति में मृतकों की अन्त्येष्टि के लिए ऐसे विशेष उपाय करना जो विहित प्राधिकारी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस सम्बन्ध में निर्देश देने के लिए सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किये जाए।
- (झ) खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना तथा अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरुद्धार करना।
- (ञ) सार्वजनिक पथों, पुलियों, नगर पालिका के सीमा- चिन्हों मण्डियों, हाटों, वध षालाओं, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों, नालियों, मल नालियों, जल निकास-संक्रमों, मल नाली से संबंधित संकर्मों, स्नानगृहों, धुलाई के स्थानों, पीने के पानी के नलों, तालाबों, कुओं,

बौधों तथा उसी प्रकार के अन्य संकर्मों निर्माण करना, उनमें परिवर्तन करना और उनका अनुरक्षण करना।

- (द) काजी हाउसों की स्थापना करना तथा उनका प्रबंध करना और जहाँ पशु अतिचार अधिनियम 1871 (1871 का सं. 11) प्रवर्तन में हो , वहाँ उस अधिनियम की धारा 4,5, 6, 7 12, 14, 17 तथा 19 के अधीन राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट के समस्त कृत्य करना ।
- (ड) जल के वर्तमान प्रदाय के अपर्याप्त तथा अस्वास्थ्यकर होने के कारण निवासियों तथा घरेलू पशुओं के स्वास्थ्य को खतरे से बचाने के लिए उचित तथा पर्याप्त जल प्रदाय या अतिरिक्त जल प्रदाय को जब तक ऐसा प्रदायया अतिरिक्त प्रदाय युक्तियुक्त खर्च से प्राप्त किया जा सकता हो, प्राप्त करना और ऐसे जल का नियतकालिक रूप से सूक्ष्म परीक्षण करना।
- (ड) पथों तथा उद्यानों का नामकरण करना तथा मकानों को संख्याकित करना।
- (द) जन्म, विवाह तथा मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करना।
- (ण) सार्वजनिक टीके लगाना।
- (त) किन्हीं भी ऐसे बछड़ों, गायों या भैंसों के लिए जो पशु टीके (लिम्फ) के प्रदाय के लिए नगर पालिका की सीमाओं के भीतर अपेक्षित हों, उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना।
- (थ) पशुओं का रजिस्ट्रीकरण करना तथा ऐसे अन्तरालों से जो विहित किए जाएँ कृषि उपयोगी पशुओं की गणना।
- (द) ऐसे उपाय करना जो संक्रामक रोगों के पैदा होने या फैलने या उनकी पुनरावृत्ति होने से रोकने के लिये अपेक्षित हों ।
- (ध) नगर पालिका के प्रशासन पर ऐसी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जैसी राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे (रिपोर्ट को) प्रस्तुत करने के लिए परिषद से अपेक्षा करें।
- (न) ऐसे प्रकार के तथा ऐसी स्थिति में, जिसका कलेक्टर द्वारा अनुमोदन किया जाए, मजबूत सीमा चिन्हों का निर्माण करना जो नगर पालिका की सीमाओं या उनमें किसी परिवर्तन को परिनिष्ठित करते हों ।
- (प) परिषद के सफाई कर्मचारीवृन्द के लिए आवासगृहों का सन्निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना।
- (फ) प्राथमिक शालाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना।
इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद अधिनियम की धारा-124 के खण्ड (क) से (फ) में उल्लेखित निम्न विषयों के लिए नगर पालिका की स्थाई व निधि से विवेकानुसार व्यवस्था कर सकती है।

/kkjk 124 %d% | s %Q% %&

- (क) अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरुद्धार करना ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें पूर्व में निर्माण हुआ हो, या नहीं – नए सार्वजनिक पथों का अभिन्यास करना तथा उस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करना, जिसमें ऐसे मार्गों से संस्पर्षी भवन के लिए भूखण्ड सम्मिलित होंगे ।
- (ख) सार्वजनिक पार्कों, उद्यानों खेल के मैदानों तथा खुले स्थलों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, पागलखानों, सभा भवनों, कार्यालयों, धर्मशालाओं, विश्रामगृहों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों का सन्निर्माण करना, उनकी स्थापना करना या उनका अनुरक्षण करना ।
- (ग) शैक्षणिक उद्देश्यों को अग्रसर करना ।
- (घ) सड़क के किनारों तथा अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण तथा उनका अनुरक्षण करना ।
- (ङ) सार्वजनिक पथों तथा स्थानों पर जल छिड़कना ।
- (च) चौराहों, उद्यानों या सार्वजनिक समागम के अन्य स्थानों में संगीत की व्यवस्था करना ।
- (छ) स्थानीय प्रयोजनों के लिए जनगणना करना और ऐसी जानकारी के हेतु जिससे जन्म-मृत्यु सम्बन्धी आंकड़ों का ठीक-ठीक रजिस्ट्रीकरण हो सके, पुरस्कार देना ।
- (ज) सर्वेक्षण करना ।
- (झ) किसी वैतनिक या अवैतनिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को बनाए रखने के लिए आनुषांगिक वेतन तथा भत्ते, भाड़े तथा अन्य खर्च या ऐसे किन्हीं भी खर्चों के किसी भाग का संदाय करना ।
- (ञ) ऐसे कुत्तों तथा सुअरों का विनाश या निरोध करना जिसका इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य अधिनियमिति के अधीन विनाश किया जा सकता हो या जिन्हें निरोध से रखा जा सकता हो ।
- (ट) इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियमके अधीन विनिर्दिष्ट खतरनाक तथा घृणोत्पादक व्यापारों को चलाने के लिये उपयुक्त स्थान प्राप्त करना या प्राप्त करने में सहायता देना ।
- (ठ) प्राइवेट परिसरों पर या उनके उपयोग के लिए उनका मलमूत्र परिषद के नियंत्रणाधीन मल नाली में इकट्ठा करने तथा उसे बहाकर ले जाने के लिए पात्रों फिटिंगों, नलों तथा अन्य प्रकार के साधित्रों का चाहे जो भी हो , प्रदाय , निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना ।
- (ड) मलमूत्र के व्ययन के लिए फार्म या कारखाना स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना ।
- (द) नगर पालिका के कर्मचारियों के या उसके किसी वर्ग के तथा उनके आश्रितों के लिए किये जाने वाले कल्याण कार्यों की अभिवृद्धि करना ।
- (ण) सफाई कर्मचारीवृन्द से भिन्न परिषद के किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करना ।
- (स) निर्धन वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वच्छ निवासगृह का निर्माण करना ।

- (ष) पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों , चिकित्सालयों , औषधालयों या इसी प्रकार के संस्थाओं के जो सार्वजनिक चिकित्सा सहायता प्रदान करनी हो या सामाजिक कार्य में लगी हो या पूर्व प्रकृति की अन्य संस्थाओं के निर्माण उनकी स्थापना या उनके अनुरक्षण हेतु अभिदाय करना ।
- (द) चारागाह या चराई के स्थानों का अर्जन करना तथा उनका अनुरक्षण करना और डेरी फार्मों की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना और अभिजनन सांड रखना तथा उनका भरण-पोषण करना ।
- (प) नगर पालिका क्षेत्र के निवासियों के फायदे के लिए दुग्ध के उत्पादों के प्रदाय, वितरण तथा प्रसंस्करण के लिए डेरियों या फार्मों की स्थापना करना ।
- (न) विशेषतः गर्भिणी तथा स्तनपान कराने वाली माताओं , बच्चों तथा अषक्तों के उपयोग के लिए मलाई युक्त या मलाई रहित दुग्ध, संघनीकृत दुग्ध, वाष्पीकरण द्वारा नमीरहित किया गया , दुग्ध दुग्ध चूर्ण तथा कृत्रिम या सोयाबीन दुग्ध प्राप्त करना और निःशुल्क या कम मूल्य पर वितरित करना ।
- (प) वासगृहों तथा भोजनालयों की व्यवस्था करना तथा उन्हें चलाना ।
- (फ) भोजन गृह, जैसे जलपान गृह, चाय की दुकान , मिठाई की दुकान उपहार गृह, कैफे , स्वल्पाहार गृह, होटल तथा ऐसे स्थान स्थापित करना तथा उन्हें चलाना जहां खाद्य तथा पेय पदार्थ दिए जाते हों ।
- (व) शैडों , छप्परो (बूथों) तथा अन्य सुविधाओं सहित सार्वजनिक स्नान-गृहों या तैरने के तालाबों की व्यवस्था करना तथा उनका अनुरक्षण करना ।
- (भ) किसी भी वाणिज्यिक उद्यम का जिम्मा लेना ।
- (म) ऐसी सड़कों तथा ऐसे भवनों का और सिंचन संकर्मों से भिन्न ऐसे अन्य सरकारी संकर्मों का जिन्हें राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार परिषद को अंतरित करें, निर्माण करना तथा उनका अनुरक्षण करना ।
- (य) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी पागलखाने, कुष्ठाश्रम, चिकित्सालय या मकान में ऐसे पागलों तथा कुष्ठरोगियों के, जो नगर पालिका क्षेत्र में रहते हों या नगर पालिका क्षेत्र से हटाये गये हों, भरण पोषण की तथा उपचार की व्यवस्था करना ।
- (कक) पागलों, कुष्ठ रोगियों तथा उन व्यक्तियों का `जिनका अलंर्कविरोधी (एण्टीरेबिक) उपचार होना आवश्यक हो, उनके उपचार के लिए स्थापित पागलखाने , कुष्ठाश्रम , चिकित्सालय या भवन में चाहे वह नगर पालिका की सीमाओं के भीतर हों, या बाहर, भिजवाने की व्यवस्था करना ।
- (खख) मेले तथा प्रदर्शनीयुक्त मेले लगाना ।

- (घघ) पशु औषधालयों की स्थापना करना तथा उनका अनुरक्षण करना ।
- (ड.ड.) नगर पालिका के भीतर ऐसा कोई भी राजनैतिक स्वागत समारोह, उत्सव मनोरंजन या प्रदर्शनी या आयोजन करना, जिसमें उस रकम से अधिक रकम खर्च न हो जो नियमों द्वारा इस निमित्त विहित की गई हो । परन्तु यह जबकि, परिषद द्वारा उस निमित्त साधारण सम्मिलन में एक संकल्प पारित कर दिया जाए ।
- (चच) अन्यथा उपबंधित न किया गया कोई भी ऐसा विषय जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तथा जनता की सुविधा का उन्नयन संभव हो ।
- (छछ) चिकित्सालयों तथा औषधालयों की स्थापना करना तथा उनका अनुरक्षण करना ।
- (जज) दरिद्रालयों की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना , और
- (झझ) नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है ।,
- (ञञ) भूमि उपयोग का विनियम और भवनों का निर्माण,
- (टट) आर्थिक और सामाजिक विकास योजना ।
- (ठठ) नगरीय वानिकी पर्यावरण का संरक्षण और परिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि ।
- (डड) समाज के दुर्बल वर्गों में जिनके अंतर्गत विकलांग और मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा ।
- (ढढ) नगरीय निर्धनता उन्मूलन ।
- (णण) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कोई भी अन्य कार्य करना ।

लोक प्राधिकारी का संगठनात्मक ढाँचा संलग्न प्रपत्र – क में दर्शाया गया है। विभिन्न विभागों के कार्य व कर्तव्यों का विवरण प्रपत्र “ ख ” में तथा पदाधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों को प्रपत्र –ग में दर्शाया गया है ।

स. क्रं.	विभाग	कार्य
1.	सामान्य प्रशासन विभाग:-	<p>लोक प्राधिकारी के सामान्य प्रशासन की सुचारु व्यवस्था एवं संचालन तथा लेखाओं के संधारण के लिये यह विभाग उत्तरदायी है। उसके प्रमुख कार्य एवं कर्तव्य निम्नानुसार है :-</p> <p>iz kkl u %&</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कार्यालय की समुचित व्यवस्था । 2. अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति , अवकाश कार्य विभाजन । 3. कार्यालयीन पत्र-व्यवहार का संधारण, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षक । 4. रिकार्ड-पत्रों का आवक-जावक, पंजीकरण व निरस्तीकरण । 5. परिषद, प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल, परामर्षदात्री समितियां के सम्मेलन की सूचना उसके कार्यवृत्तों का संधारण उसके द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत करना व उनके निर्णयों के क्रियान्वयन के पालन हेतु संबंधित विभाग अधिकारियों को प्रेषित करना । 6. कार्यालयीन निरीक्षण व पर्यवेक्षण । 7. वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदनों का पालन । <p>ys[kk %&</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. निकाय के करों, षुल्कों, अनुज्ञा षुल्कों व अन्य मदों व कर्मचारियों द्वारा वसूल या प्राप्त की गई है, की जांच कर प्राप्त कर निर्धारित रोकड़ पुस्तक में अंकित करना व कोशालय या बैंक में जमा करना। 2. निकाय द्वारा किये जाने वाले समस्त भुगतानों की जांच करना व सुनिश्चित करना कि सम्पादित कार्य या व्यवहार की सक्षम स्वीकृति है। बजट प्रावधान है , स्टॉक रजिस्टर या लेजर बुक में प्रविष्टि है, व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान करना व उसका लेखा निर्धारित लेखा पुस्तिका में संधारित करना। 3. मासिक, त्रैमासिक वार्षिक लेखाओं को तैयार करना व विनिर्दिष्ट अधिकारियों को भेजना। 4. वार्षिक आय- व्यय अनुमान पत्रक तैयार करना। 5. समस्त प्रतिभूतियों, अमानतों, अग्रिमों के लेखों का संधारण। 6. ऋण एवं अनुदान से प्राप्त समस्त राशियों के लेखाओं का संधारण। 7. जनसहयोग या स्वैच्छिक अभिदाता द्वारा प्रदत्त राशियों का लेखा निर्धारित प्रारूप रजिस्टर में रखना। 8. प्राधिकरण के सम्पूर्ण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का संधारण। 9. लेखाओं का अंकेक्षण कराना एवं अंकेक्षण प्रतिवेदनों का निराकरण करना।
2.	राजस्व विभाग :-	

प्राधिकारी के राजस्व विभाग का मुख्य कार्य एवं कर्तव्य निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों, षुल्कों, एवं अन्य प्रभार तथा नगर पालिका , मार्केट्स, स्लाटर हाउस एवं अस्थायी एवं स्थायी लीजरेंट तथा भूमि किराया –प्रीमियम आदि से सम्बंधित अभिलेख विहित प्रारूप में संधारण एवं वसूली करना है इन कर्तव्यों की पूर्ति हेतु उसके द्वारा निम्न कार्य संपादित किये जाते हैं :-

1. सम्पत्ति कर , सफाई कर, जलकर, प्रकाष कर शिक्षाकर एवं अन्य सभी करों, जिनकी कर निर्धारण सूची वार्षिक तैयार की जाती है, उनके कर निर्धारण रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र में तैयार करना ।
2. निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों व षुल्कों की षीघ्र वसूली करना ।
3. करों , षुल्कों व अन्य देय राषियां की वसूली हेतु निर्धारित प्रारूप में आवश्यक संख्या में रसीद बुकों की व्यवस्था उसके संषय व समाप्त होनेपर वापस जमा करना सुनिष्यित करना ।
4. राजस्व विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा वसूल की गई राषि का यथा समय नगर पालिका कोष में जाँच उपरानत जमा करना व उसका पर्यवेक्षण करना ।
5. राजस्व विभाग द्वारा जारी रसीदों। का मूल रसीदों से कम से कम 10 प्रतिषत रसीदों को मिलान व सत्यापन करना ।
6. नगर पालिका, मार्केट, दुकानें, भूमि व अन्य संपत्ति के आवंटन हेतु सार्वजनिक घोष या टेण्डर्स आदि की कार्यवाही । अधिनियम व नियमों के प्रावधानों के अनुरूप करना, व सम्बन्धित अनुबंधों का निष्पादन सुनिष्यित करना ।

3.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग:-	<p>7. बकाया करों व षुल्कों व किराये की वसूली हेतु अधिनियम के प्रावधानानुसार बिल मांग , सूचना पत्र व वारंट जारी करना व उनकी तामीली सुनिश्चित करना ।</p> <p>8. कांजी हौस की व्यवस्था व वसूली पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण ।</p> <p>9. विहित प्रारूपों में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या निर्धारित सामयिक पत्रकों में करों आदि की वसूली की जानकारी विहित अधिकारी को देना ।</p> <p>लोक प्राधिकारी के इस विभाग का दायित्व नागरिकों को चिकित्सा व जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ , बीमारियों की रोकथाम, नगर की सफाई , कचरा व ठोस अपशिष्टों का निपटान, ड्रेनेज व नालियों की सफाई आदि की व्यवस्था करना है। इन दायित्वों के निर्वहन हेतु वह निम्न कार्यो को सम्पन्न करना है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जन-स्वास्थ्य के लिये वेक्सीनेशन की व्यवस्था । 2. महामारी के समय प्रतिबंधात्मक उपाय, दवाइयों का वितरण व चिकित्सीय व्यवस्था । 3. पशुवध गृह, होटलों आदि का निरीक्षण । 4. खाद्य पदार्थों व पेय पदार्थों की जाँच । 5. नगरीय क्षेत्र की सड़कों,नालों व नालियों की सफाई । 6. सार्वजनिक षौचालयों, मूत्रालयों (सुलभ षौचालयों) का निर्माण । 7. षुष्क षौचालयों को फ्लष षौचालय में परिवर्तन । 8. षुद्ध पर्यावरण हेतु उद्यानों का निर्माण, रख- रखाव व वृक्षारोपण ।
----	------------------------------------	--

4.	लोक निर्माण विभाग :-	<p>9. केन्द्र एवं राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं हेतु सर्वे,रजिस्ट्रीकरण एवं हितग्राहियों को सहायता वितरण।</p> <p>प्राधिकारी के इस विभाग के निर्माण कार्य व कर्तव्य हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नगर विकास से सम्बन्धित समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों का संपादन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण। 2. नगर के सुनियोजित विकास की दृष्टि से कालोनियों के विकास की नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत वांछित स्वीकृति, भवन निर्माण की अनुमति दी जाना। 3. जन सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक भवनों, सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों व खुली भूमियों से अतिक्रमण हटाने। 4. बिना अनुमति एवं अनुमति के विरुद्ध निर्माण कार्यों को हटाना व उनके विरुद्ध विधानांतर्गत कार्यवाही करना।
5.	जलकार्य विभाग :-	<p>प्राधिकारी का जल कार्य विभाग निम्न कर्तव्यों व कार्यों को सम्पन्न करना है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जल प्रदाय की सम्पूर्ण व्यवस्था- इन्टेकवेल, फिल्टर प्लान्ट, स्टोरेज, सप्लाय का संधारण एवं पर्यवेक्षण। 2. मुख्य व वितरण पाईप लाईन का संधारण परिवर्धन परिवर्तन। 3. पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट का संधारण। 4. जलकष्ट की स्थिति में पेयजल की व्यवस्था टैंकर्स व अन्य साधनों से सुलभ कराना। 5. व्यक्तिगत नल कनेक्शन की स्वीकृति व उनका पर्यवेक्षण।

6.	कर्मशाला विभाग :-	<p>6. नगर पालिका के स्वामित्व व सार्वजनिक जलस्त्रातों, तालाबों, कुओं आदि का संधारण।</p> <p>इस विभाग का कार्य नगरीय निकाय के वाहनों, मशीनों व पम्पों आदि के संधारण व मरम्मत की व्यवस्था करना है, साथ ही वाहनों के लिये चालक परिचालक , क्लीनर आदि स्टाफ की उपस्थित, अवकाष आदि का नियंत्रण भी इस विभाग के जिम्मे रहता है।</p>
7.	अग्निषामक विभाग	<p>कार्य एवं कर्तव्य :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अग्निषामक वाहनों का संधारण। 2. आपात स्थिति में प्रशासन व नागरिकों की सहायता।
8.	शिक्षा विभाग :-	<p>शिक्षा विभाग के कार्य :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बाल मंदिरों की स्थापना व संचालन। 2. झूलाघरोंकी स्थापना व संचालन। 3. म.प्र. नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम 2005 के प्रावधानुसार शिक्षकों की नियुक्ति।

v/; k; &nks

i kf/kdj .k ds foHkkxh; vf/kdkfj ; ka o de;pkfj ; ka ds dk; Z o
'kfDr; kW

प्रपत्र-ग

1	2	3	4
1.	हरिओम चौरसिया अध्यक्ष राजेन्द्र जाटव उपाध्यक्ष शंकरलाल पार्षद श्रीमती अनीता “ श्री मुरारीलाल “ श्री गोविन्दराम “ श्री कृष्ण कुमार “ श्रीमती सुसीला चौरसिया “ श्री प्रमोद कुमार दुबे “ श्री रामगोपाल चौरसिया “ श्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी “ श्रीमती मीरा दुबे“ श्री कालीचरण “ श्रीमती सरोज चौरसिया “ श्री रामप्रकाश बघेल “	1. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रदत्त प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियाँ । 2. आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाएँ तैयार करना । 3. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को अवकाश की स्वीकृति । 4. करारोपण एवं शुल्कों की स्वीकृति । 5. सम्पत्ति कर हेतु वार्षिक भाड़ा मूल्य का निर्धारण । 6. प्रायवेट पथ को सार्वजनिक पथ घोषित करने की शक्ति 7. सार्वजनिक पथों की नियमित लाईन का निर्धारण ।	1. अधिनियम 1961 की धारा 123 में विनिर्दिष्ट कर्तव्य । 2. अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष को अवकाश की स्वीकृति । 3. परामर्ष दात्री समिति का निर्वाचन । 4. धारा 109 के प्रावधानान्तर्गत नगर पालिका सम्पत्ति का अंतरण । 6. अधिनियम के प्रयोजनों हेतु ऋण लेने की शक्ति । 6. वार्षिक आय-व्यय की स्वीकृति । 7. (क)50,000/-सेअधिक जनसंख्या की नगर पालिका की दशा में 2 लाख से 50 लाख तक । (ख)50,000/-से कम जनसंख्या की नगर पालिका की दशा में

				1 लाख से 30 लाख तक । (ग) नगर पंचायत की दशा में 50,000/- से 15 लाख तक के कार्यों की वित्तीय स्वीकृति ।
		8. मण्डी (मार्केट) की स्थापना 9. आदर्ष दुग्ध उद्योग की स्थापना । 10. धारा 307 के अंतर्गत अपील सुनने । 11. परिषद की ओर से विधिक कार्यवाही । 12. परिषद की ओर से अभियोजन की स्वीकृति । 13. अधिनियमों के प्रयोजनों हेतु उपविधियों का निर्माण ।	8.	
2.	प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल :- श्री हरिओम चौरसिया (अध्यक्ष) श्री शंकर लाल चौरसिया (सदस्य) श्री गोविन्दराम चौरसिया (सदस्य) श्रीमती अनीता जाटव (सदस्य) श्री कृष्ण कुमार शर्मा (सदस्य) श्रीमती सरोज चौरसिया (सदस्य)	1. धारा 94 (1) ,(2), (6) के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति एवं दण्ड । 2. 500/- से अनाधिक वार्षिक भाड़ा मूल्य एवं प्रीमियम को स्थान/सम्पत्ति को भाड़े पर देने की स्वीकृति । 3. वित्तीय षक्तियों :- (क) 50,000/- से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका की दशा में रु. 15000/- से अधिक 2 लाख तक । (ख) 50,000/- से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका की दशा में रु. 10,000/- हजार से अधिक 1 लाख तक ।	1. 2. 3.	94 (1), (2), व (6) के अंतर्गत आने वाले पदों पर नियुक्ति / पदोन्नति । धारा 109 व संबंधित नियमों अंतर्गत स्थान/सम्पत्ति का अंतरण वित्तीय अधिकार की सीमा तक निर्माण कार्यों / खरीदी की स्वीकृति ।

		(ग) नगर पंचायत की दशा में रु. 5 हजार से अधिक 50 हजार तक ।	
3.	अध्यक्ष :- श्री हरिओम चौरसिया	4. अधिनियम की धारा 93(1) 94 (1) (2), 121 (1), 126, 160, 168 (7) , 228, 235, 237,238 243, 244, 245, 247, 248, 249, 253 (1) (3) 255 (1) , 261, 262 (1) (3) , 263, 265, 267, 272, 273, 274, 281 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियाँ । 1. परिषद के बैठक की अध्यक्षता व संचालन एवं विनियम । 2. अधिनियम की धारा 183(5), 184,186, 190, 203, 205, 206,207, 209, 210, 211, 218, 219, 268, एवं 283 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियाँ । 3. आपात काल में परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यों के निष्पादन व व्यय की स्वीकृति । 4. परिषद/प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल द्वारा प्रदत्त अधिकारों अन्तर्गत स्वीकृतियों व कार्य ।	कॉलम नं.2 के खण्ड (4) में उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही । 1. परिषद के निर्णयों का निष्पादन व संचालन । 2. परिषद की 184, 185 वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी । 3. कार्यपालक प्रशासन, परिषद के लेखाओं, अभिलेखों से संबंधित कार्यों व कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण ।
4.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी:- एम.पी. दीक्षित	1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति व दण्ड । 2. सफाई कर व अन्य करों की कर निर्धारण सूची तैयार करना ।	1. न.पा. के समस्त कार्यपालक एवं वित्तीय प्रशासन पर निगरानी । 2. नगर पालिका की ओर से पत्राचार ।

		<p>3. कर निर्धारण आपत्तियों का निराकरण ।</p> <p>4. करों व भाड़े की वसूली हेतु वित्तीय बिल, मांग सूचना पत्र, वारन्ट जारी करने की शक्ति ।</p> <p>5. वित्तीय शक्तियाँ :- (क) 50,000/- से अधिक जनसंख्या की नगर पालिका की दषा में रु. 15,000/- तक । (ख) 50,000/- से कम जनसंख्या की नगर पालिका की दषा में रु.10,000 तक । (ग) नगर पंचायत की दषा में रु. 5,000/- तक के कोई खरीदी की स्वीकृति ।</p> <p>6. अन्य शक्तियाँ जो परिषद/ प्रेसीडेन्ट इन-काउंसिल द्वारा प्रदत्त या प्रत्यायोजित की जावे ।</p> <p>7. राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति ।</p>	<p>3. परिषद द्वारा लिये गये निर्णयों का अधिनियम व उसके अंतर्गत बने नियमों अनुसार पालन ।</p> <p>4. अधिनियम की धारा 180(1)(2), 185, 187-ए, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 200 (2) 204, 208, 213, 215, 216, 217, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 232, 233, 234, 236, 239, 241, 242, 246, 250, 251, 262 एवं 285 ।</p>
--	--	--	---

(ख)

vU; vf/kdkjh , oa de'pkjh

विभाग	पदाधिकारी का नाम	पद	कर्तव्य	शक्तियाँ यदि कोई प्रदाय की गई हो।
1	2	3	4	5
समान्य प्रशासन	श्रीमती हेमलता चौरसिया	निम्न श्रेणी लिपिक	स्टोर केष, आवक जावक टायपिंग कार्य	
लेखा	सीताराम राठौर	सहायक राजस्व निरीक्षक	लेखाकार्य, निर्माण कार्य, स्थापना	
राजस्व विभाग	भीषण सिंह जाटव	सहायक निरीक्षण	राशनकार्ड, जन्म मृत्यु, भवन निर्माण स्वीकृति, नामान्तरण, करों की वसूली विविध	
राजस्व विभाग	दिनेश चन्द्र त्रिपाठी	स्थायक राजस्व निरीक्षक	करों की वसूली	
राजस्व विभाग	वासुदेव शर्मा	सहायक राजस्व निरीक्षक	करों की वसूली एवं नांका वसूली	
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	वासुदेव स्वर्णकार	लाइनमैन	स्वच्छता विभाग	
लोक निर्माण विभाग	वासुदेव स्वर्णकार	लाइनमैन	निर्माण सम्बन्धी कार्य	
जल कर कार्य	वासुदेव स्वर्णकार	लाइनमैन	जल संधारण कार्य	
स्वच्छता विभाग	द्वौजीराम खरे	सफाई कामागार	सफाई कार्य	
स्वच्छता विभाग	रामप्यारी खरे	सफाई कामागार	सफाई कार्य	
स्वच्छता विभाग	अशोक कुमार खरे	सफाई कामागार	सफाई कार्य	
स्वच्छता विभाग	धनीराम खरे	सफाई कामागार	सफाई कार्य	

स्वच्छता विभाग	रतनलाल खरे	सफाई कामागार	सफाई कार्य	
स्वच्छता विभाग	सुरेश खरे	सफाई कामागार	सफाई कार्य	
स्वच्छता विभाग	राजू खरे	सफाई कामागार	सफाई कार्य	
स्वच्छता विभाग	संजय खरे	सफाई कामागार	सफाई कार्य	
स्वच्छता विभाग	राजेश खरे	सफाई कामागार	सफाई कार्य	

v/; k; & rhu

विनिष्चय / निर्णय किये जाने के प्रक्रम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और निगरानी / पर्यवेक्षण तथा जबाबदेही के माध्यम / सारणी।

(1) परिषद :-

प्रेषककर्ता	-	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष अथवा प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल के अनुमोदन से।
निर्णयकर्ता	-	परिषद
अपील / पुनरीक्षण	-	कलेक्टर/शासन/संचनालय

(2) प्रेसिडेन्ट इन काउंसिल :-

प्रेषककर्ता	-	मुख्य नगर पालिका अधिकारी
निर्णयकर्ता	-	प्रेसिडेन्ट इन काउंसिल
अपील / पुनरीक्षण	-	कलेक्टर/संचनालय/शासन

308. ²(नगर पंचायत) में परिषद, अध्यक्ष तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील - 1 ²(नगर पंचायत) की दशा में कोई भी व्यक्ति, जो -

- (क) धारा 193, 197, 219 तथा 231 के अधीन या उक्त धाराओं के प्रयोजनों के लिये बनाए गए किन्हीं नियमों या उपविधियों के अधीन परिषद् द्वारा जारी की गई किसी सूचना या दिए गए किसी आदेश या की गई अन्य कार्यवाही से या ऐसे नियमों या उपविधियों द्वारा अपील योग्य बनाए गए किसी आदेश से व्यथित है ;
- (ख) धारा 183 (5) (क) तथा (ख), 184, 187, 190, 203, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 218, 229, 268 और 283 के अधीन या उक्त धाराओं के प्रयोजनों के लिये बनाए गए किन्हीं नियमों या उपविधियों के अधीन अध्यक्ष द्वारा जारी की गई किसी सूचना या दिए गए किसी आदेश या की गई किसी अन्य कार्यवाही से या ऐसे नियमों या उपविधियों द्वारा अपील योग्य बनाए गए किसी आदेश से व्यथित है ;
- (ग) धारा 180 (1) तथा (2), 185, 191, 192, 194, 208, 220, 221, 223, 227, 242, 251 तथा 285 के अधीन या उक्त धाराओं के प्रयोजनों के लिये बनाए गए किन्हीं नियमों या उपविधियों के अधीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जारी की गई किसी सूचना या दिए गए किसी आदेश या की गई अन्य कार्यवाही से या ऐसे नियमों या उपविधियों द्वारा अपील योग्य बनाए किसी आदेश से व्यथित है ;
- (घ) यथास्थिति, परिषद, अध्यक्ष या मुख्य नगरपालिका अधिकारी से कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा प्रदान करने या उसे प्रदान करने से इंकार करने के किसी आदेश से व्यथित है ;

वह ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील कलेक्टर द्वारा विहित रीति में सुनी तथा निपटायी जाएगी।

(2) कलेक्टर, पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् किसी भी अपील को ग्रहण कर सकेगा।

(3) कलेक्टर किसी मामले को अतिरिक्तजांच या विनिष्चय के लिए प्रतिप्रेषित कर सकेगा या कोई अन्य ऐसा आदेश दे सकेगा जो न्यायसंगत और उचित समझा जाए और इस विनिष्चय के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा ।

परन्तु किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया है ।

(4) कलेक्टर किसी कार्यपालिक अधिकारी को या परिषद् द्वारा उस प्रयोजन के लिये प्रतिनियुक्त किसी अन्य पदधारी को किसी अपील में अपने समक्ष उपसंजात होने की तथा परिषद् के हित की निगरानी करने या उसका प्रतिनिधित्व करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

विभाग	प्रकरण प्रारंभकर्ता कर्मचारी	डिलींग कर्मचारी	अधिकारी जिसके माध्यम से निर्णय हेतु प्रस्तुत होता है।	निर्णयकर्ता अधिकारी	निगरानी / पर्यवेक्षण अधिकारी	प्राधिकारी जिसके प्रति उत्तरदायी
1	2	3	4	5	6	7
सामान्य प्रशासन	सीताराम राठौर सामान्य सहायक निरीक्षक	सीताराम राठौर	सी.एम.ओ.	सी.एम.ओ. / पी. आई.सी. / परिषद	सी.एम.ओ.	परिषद
लेखा	सीताराम राठौर सामान्य सहायक निरीक्षक	सीताराम राठौर	सी.एम.ओ.	सी.एम.ओ. / पी.आई.सी. / परिषद	सी.एम.ओ.	परिषद
राजस्व विभाग	दिनेश चन्द्र त्रिपाठी सामान्य सहायक निरीक्षक	दिनेश चन्द्र त्रिपाठी	दिनेश चन्द्र त्रिपाठी	सी.एम.ओ. / पी.आई.सी. / परिषद	सी.एम.ओ.	परिषद
राजस्व विभाग	भीषम सिंह जाटव सामान्य सहायक निरीक्षक	भीषम सिंह जाटव	सीताराम राठौर	सी.एम.ओ. / पी.आई.सी. / परिषद	सी.एम.ओ.	परिषद
राजस्व विभाग	वासुदेव शर्मा सामान्य सहायक निरीक्षक	—	—	सी.एम.ओ. / पी.आई.सी. / परिषद	सी.एम.ओ.	परिषद

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	वासुदेव स्वर्णकार लाईनमैन	वासुदेव स्वर्णकार	सीताराम राठौर	सी.एम.ओ. / पी.आई.सी. / परिषद	सी.एम.ओ.	परिषद
लोक निर्माण विभाग	वासुदेव स्वर्णकार लाईनमैन	वासुदेव स्वर्णकार	सीताराम राठौर	सी.एम.ओ. / पी.आई.सी. / परिषद	सी.एम.ओ.	परिषद
जल कार्य विभाग	वासुदेव स्वर्णकार लाईनमैन	वासुदेव स्वर्णकार	सीताराम राठौर	सी.एम.ओ. / पी.आई.सी. / परिषद	सी.एम.ओ.	परिषद

v/; k; & pkj

प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिये उसके द्वारा निर्धारित मापदण्ड /प्रतिमान
(क) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये निम्न मानदण्ड एवं समय सीमा निर्धारित की गई –

fl Vhtu pkVj

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 3463/1-37/9/18-3

भोपाल दिनांक 14.08.2001

प्रति,

समस्त आयुक्त,

नगर पालिका निगम,

समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,

नगर पालिका/नगर पंचायत

विषय : सिटीजन चार्टर पुनरीक्षित निर्देश –

संदर्भ – विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ-1-37/99/18-3 दिनांक 31.03.99 ।

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि नागरिकों के दैनिक जीवन से सरोकार रखने वाले विभिन्न विभागों की गतिविधियों के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले नागरिकों के लिये आवेदनों/मांग पर निर्धारित समय सीमा में समुचित निर्णय लिया जाए । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में वर्णित कार्य/गतिविधि/योजनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण कॉलम 3 में बताये गये अधिकारियों द्वारा कॉलम 4 में बताई गयी समय-सीमा में किया जाए । समय सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं होने की स्थिति में समय पर निराकरण के लिये कॉलम 5 में दर्शाए गए अधिकारी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है । इस शिकायत के निराकरण के लिये कॉलम 6 में समय सीमा निर्धारित की गई है ।

क्र.	कार्य/गतिविधि/ योजना का नाम	प्रभारी/विहित अधिकारी	निपटारे की समय समया	निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जाना उसका पदनाम	शिकायत के निराकरण की समय सीमा
------	--------------------------------	--------------------------	------------------------	--	-------------------------------------

1- Hkou fuekZ.k vuqKk ,oa

1.1	भवन निर्माण मानचित्र की अनुज्ञा प्रदान करना	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	30 दिवस	कलेक्टर	30 दिन
1.2	अनुज्ञा की समयावधि में वृद्धि	मुख्य नगर पालिका अधि. नगर पंचायत	30 दिवस	आयुक्त नगर निगम/कलेक्टर	30 दिन
1.3	अनुज्ञा का नवीनीकरण करना	मुख्य नगर पालिका अधि. नगर पंचायत	15 दिवस	आयुक्त नगर निगम/कलेक्टर	30 दिन
1.4	भवन पूर्णता प्रमाण पत्र तथा उपयोग में लाने का अनुज्ञा प्रदान करना	मुख्य नगर पालिका अधि. नगर पंचायत	15 दिवस	आयुक्त नगर निगम/कलेक्टर	30 दिन
1.5	अवैध निर्माण सम्बन्धी शिकायत का निराकरण	मुख्य नगर पालिका अधि. नगर पंचायत	07 दिवस	आयुक्त नगर निगम/कलेक्टर	30 दिन
1.6	कालोनाईजर के आवेदन पर रिजस्ट्रीकरण	नगरपंचायत/ अनुवि. अधि.(सिविल)	30 दिवस	सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	60 दिन

2- ekxksZa dk j[k j[kkc

2.1	मार्गों पर गड्ढों को भरना	नगर पालिका नगर पंचायत बिलौआ	7 दिवस	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	7 दिन
2.2	मार्ग के खराब पेंच/भाग की मरम्मत	नगर पालिका नगर पंचायत बिलौआ	15 दिवस	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	15 दिन
2.3	सार्वजनिक मार्गों से अवरोध हटाना	नगर पालिका नगर पंचायत बिलौआ जोन/बार्ड कार्यालय	3 दिवस	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	1 सप्ताह

2.4	टूटे/गुमे मेनहोल को लगाना/बदलना	कार्या. नगरपंचायत	3 दिवस	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	1 सप्ताह
2.5	सार्वजनिक स्थल से भूमि भवन स्वामी द्वारा मलवा हटाना	कार्या. नगरपंचायत	48 घंटे	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	3 दिन

3- ty ink; l x/kh pkVj

3.1	नल जल कनेक्शन अ. औद्योगिक प्रयोजन हेतु ब. व्यवसायिक प्रयोजन हेतु भवन स्वामी द्वारा मलवा हटाना	कार्या. नगरपंचायत	15 दिन 15 दिन 7 दिन	मुख्य नगर पालिक अधिकारी	15 दिन
3.2	आवेदन फार्म की प्राप्ति क्षेत्रीय बार्ड	कार्या. नगर पंचायत	11.00	मुख्य नगर पालिक अधिकारी	
3.3	आवेदन फार्म जमा किया	कार्या. नगर पंचायत	11.00बजे से 4 बजे तक	मुख्य नगर पालिक अधिकारी	3 दिन
3.4	आवेदन की पावती	कार्या. नगर पंचायत	उसी समय	मुख्य नगर पालिक अधिकारी	3 दिन
3.5	आवेदन में कर्मियों की सूचना	कार्या. नगर पंचायत	3 दिवस	मुख्य नगर पालिक अधिकारी	7 दिन
3.6	कनेक्शन की स्वीकृति आदेश	कार्या. नगर पंचायत	3 दिवस	मुख्य नगर पालिक अधिकारी	7 दिन
3.7	मार्ग काटने की स्वीकृति	कार्या. नगर पंचायत	15 दिवस	मुख्य नगर पालिक अधिकारी	7 दिन
3.8	टैंकर के माध्यम से जल प्रदाय	कार्या. नगर पंचायत	4 से 6 घंटे	मुख्य नगर पालिक अधिकारी	उसी दिन
3.9	कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त जल प्रदाय	कार्या. नगर पंचायत	15 दिन कार्यक्रम के पूर्व	मुख्य नगर पालिक अधिकारी	कार्यक्रम के दिन

3.10	मैनपाईप लाईन में रिसाव/लिकेज दूषित जल की शिकायत का निराकरण	कार्या. नगर पंचायत	48 घंटे	मुख्य नगर पालिक अधिकारी	3 दिन
3.11	पाईप लाईन/सार्वजनिक नलों की मरम्मत	कार्या. नगर पंचायत	3 दिन	मुख्य नगर पालिक अधिकारी	7 दिन

4- [LkQkbZ I cakh pkVj](#)

4.1	आवासी क्षेत्रों/मार्गों की सफाई में चूक के आवेदनों का निराकरण	कार्या. नगर पंचायत	अगले दिन	मुख्य नगर पालिक अधिकारी	3 दिन
4.2	मार्केट क्षेत्रों की सफाई समस्या का निपटारा	कार्या. नगर पंचायत	प्रतिदिन	मुख्य नगर पालिक अधिकारी	3 दिन
4.3	कचरा पेटी/ट्राली से कचरा हटाने की सूचना	कार्या. नगर पंचायत	अगले दिन	मुख्य नगर पालिक अधिकारी	3 दिन
4.4	आवारा कुत्ता/सुअरों की समस्या निवारण	कार्या. नगर पंचायत	3 दिन	मुख्य नगर पालिक अधिकारी	7 दिन

5. [tyey fudkl h I cakh pkVj](#)

5.1	जलमल निकासी मार्ग के अवरोधों	कार्या. नगर पंचायत	3 दिन	मुख्य नगर पालिक अधिकारी	7 दिन
5.2	नलियों का सफाई	कार्या. नगर पंचायत	48 घंटे	मुख्य नगर पालिक अधिकारी	3 दिन
5.3	नलियों से अतिक्रमण हटाना	कार्या. नगर पंचायत	एक सप्ताह	मुख्य नगर पालिक अधिकारी	15 दिन
5.4	नलों की सफाई	कार्या. नगर पंचायत	वर्ष में दो बार	मुख्य नगर पालिक अधिकारी	नियत तिथि से 15दिन
6.	जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना	कार्या. नगर पंचायत	7 दिन	मुख्य नगर पालिक अधिकारी	7 दिन
7.	लायसेंस जारी करना (समस्त प्रकार के) एवं नवीनीकरण	कार्या. नगर पंचायत	7 दिन	मुख्य नगर पालिक अधिकारी	15 दिन

8. Lo.kZ t; arh 'kgjh jkst xkj ; kst uk

8.1	आवेदन पत्र पूर्ण कर बैंक को प्रेषित करना	कार्या. नगर पंचायत	एक माह	कलेक्टर	15 दिन
8.2	बैंकों से स्वीकृति	कार्या. नगर पंचायत	1 माह	कलेक्टर	15 दिन
8.3	ऋण स्वीकृति पश्चात भुगतान	कार्या. नगर पंचायत	1 माह	कलेक्टर	15 दिन

9- jk'ku dkmZ

9.1	राशन कार्ड के आवेदनों का निराकरण प्रदाय	कार्या. नगर पंचायत	7 दिन	कलेक्टर	7 दिन
9.2	राशन कार्ड में संशोधन कार्ड नया होने पर प्रमाण पत्र जारी करना	कार्या. नगर पंचायत	7 दिन	कलेक्टर	7 दिन

10. dY; k.k ; kst uk, a

10.1	वृद्धावस्था पेंशन एवं निराश्रित पेंशन आवेदन पत्रों का निराकरण	कार्या. नगर पंचायत	15 दिन	कलेक्टर	15 दिन
10.2	राष्ट्रीय परिवार सहायता	कार्या. नगर पंचायत	15 दिन	कलेक्टर	15 दिन
10.3	राष्ट्रीय मातृत्व सहायता	कार्या. नगर पंचायत	15 दिन	कलेक्टर	15 दिन
10.4	बलिका स्मृद्धि योजना	कार्या. नगर पंचायत	15 दिन	कलेक्टर	15 दिन

11. vfrØe.k efge

11.1	अवैध निर्माण की शिकायत पर कार्यवाही	कार्या. नगर पंचायत	7 दिन	कलेक्टर	15 दिन
12	पक्का अवैध निर्माणों को हटाना	कार्या. नगर पंचायत	अतिक्रमण हटाओं मुहिम के अन्तर्गत	कलेक्टर	15 दिन

13- LV†V ykbV

13.1	स्ट्रीट लाईट का रख	कार्या. नगर पंचायत	7 दिन	कलेक्टर	7 दिन
13.2	बल्ब ट्यूब आदि खराब	कार्या. नगर पंचायत	3 दिन	कलेक्टर	7 दिन

14- fu% kDr 0; fDr; ka ds fy; s dk; Øe

14.1	पार्किंग की व्यवस्था	कार्या. नगर पंचायत	एक सप्ताह	कलेक्टर	15 दिन
14.2	सार्वजनिक भवनों में रेम्प/षौचालय आदि कराना	कार्या. नगर पंचायत	15 दिन	कलेक्टर	1 माह

(2) सिटीजन चार्टर के तहत वर्णित विभिन्न प्रकार के आवेदनों को यदि विहित अधिकारियों प्रभारी अधिकारी द्वारा समय पर निराकरण नहीं किया जाता और न ही अपीलकर्ता की अपील पर संबंधित अधिकारी द्वारा समय सीमा में कार्यवाही की जाती है तब ऐसी स्थिति में आम नागरिक राज्य शासन को ई-मेल (दरनों/इवउ6ण्नेदसण्णदमजण्णद) पर अथवा सीधे डाक द्वारा आवेदन कर सकते हैं।

fl Vhtu pkVj

(ख) कार्यालयीन कार्यों का वर्ष के निर्धारण / लक्ष्य (फनंदजपजल जंतहमज)

1.	करों की वसूली के लिये	–	वित्तीय वर्ष की शत- प्रतिषत 1 अप्रैल 31 मार्च बकाया चालू 70 प्रतिषत 90 प्रतिषत
2.	योजना कार्यों के लिये	–	अंकित समय सीमा अंकित अनुसार
3.	बजट में प्रावधानित निर्माण कार्य	–	बजट अनुसार

v/; k; &i kfb

uxj i kfydk i fj "kn ds dR; ka dk fuoZgu djus ds fy; s ml ds }kjk /kkfjr ; k ml ds fu; a.k ds v/khu ; k ml ds depkfj; ka @dedkjka @ fu; kfrka ds }kjk mi ; kx fd; s x,] fu; ekj fofu; ekj vups kka e; q/YI vkj vfHkys[k A

vf/kfu; e

- (1) म.प्र. नगर पलिका अधिनियम 1961
 - (2) अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियम,
 - (3) म.प्र. मूलभूत नियम
 - (4) म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम 1971
 - (5) म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण ,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966
 - (6) म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम 1955
 - (7) म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965
 - (8) म.प्र. भूमि विकास नियम 1984
 - (9) केटल, ट्रेसपास एक्ट
 - (10) जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969—1995
 - (11) नगर पालिका द्वारा बनाई गई उपविधियों
 - (12) ठोस अपषिष्ट प्रबंधन नियम
 - (13) सी.पी.डब्ल्यू. स्पेसिफिकेशन नियम
 - (14) एम.ओ.एस.टी. नियम
 - (15) म.प्र. लोक निर्माण मेन्यूअल
 - (16) पी.डब्ल्यू.डी (एस.ओ.आर.)
 - (12) i fji = %&
- (1) म.प्र. सामान्य प्रशासन पुस्तक परिपत्र
 - (2) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं संचालनालय , नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा समय—समय पर जारी परिपत्र एवं निर्देश ।

v/; k; & N %

ykd i kf/kdkjh }kjk /kkfjr ; k ml ds fu; æ.k ds v/khu nLrkostka dh Jf.k; ka dk foofj .ka

क्रमांक	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का स्वरूप	समाहित जानकारी	दस्तावेज की समय सीमा
1.	2	3	4	5
1.	कार्यवृत्त पुस्तिका	रजिस्टर	बैठक कार्यवृत्त	नष्ट नहीं की जाती है।
2.	(क) परिषद	रजिस्टर	---''---	---''---
	(ख) स्थायी समिति / प्रेसीडेन्ट इन कॉसिल (ग) सलाहकार समिति	---''---	---''---	---''---
3.	वार्षिक प्रतिवेदन	पंजी	प्रतिवेदन	---''---
4.	स्टॉक तथा भण्डार पंजियां	पंजी	क्रय की गई सामग्री का विवरण	---''---
5.	अचल सम्पत्ति की पंजी	रजिस्टर	न.पा.की अचल सम्पत्ति	---''---
6.	भविष्य निधि अभिलेख	रजिस्टर	कर्मचारियों के भविष्य निधि की जानकारी ।	---''---
7.	जन्म-मृत्यु तथा विवाहों की पंजी	रजिस्टर	जन्म-मृत्यु / विवाह संबंधी जानकारी	---''---
8.	वेतन बिल	वेतन पत्रक	कर्मचारियों के वेतन वितरण सम्बन्धी जानकारी	32 वर्ष
9.	रोकड़िया रोकड़	रोकड़िया रोकड़	जमा राशि की जानकारी	25 वर्ष
10.	छुट्टी तथा प्रतिनियुक्ति	रजिस्टर	कर्मचारी की छुट्टी / प्रतिनियुक्ति	---''---
11.	स्थायी अग्रिम लेख	रजिस्टर	अग्रिम की जानकारी	---''---
12.	नगर पालिका रोकड़ (लेखा)	रजिस्टर	आय-व्यय की जानकारी	---''---
13.	प्राप्तियों की नगद संक्षेप पंजी	लेजर रजिस्टर	आय की जानकारी	---''---

14.	व्यय की संक्षेप पंजी	व्यय की लेजर	व्यय की जानकारी	---'''---
15.	स्थापना पंजी	रजिस्टर	स्थायी स्थापना की जानकारी	---'''---
16.	अवकाष पंजी	रजिस्टर	अवकाष सम्बन्धी जानकारी	---'''---
17.	समायोजन पंजी	रजिस्टर	समायोजन की जानकारी	12 वर्ष
18.	अमानत व अग्रिम पंजी	रजिस्टर	अग्रिमों की जानकारी	---'''---
19.	प्रतिभूति पंजी	रजिस्टर	प्रतिभूतियों की जानकारी	12 वर्ष
20.	ऋण पूंजी	रजिस्टर	प्राप्त ऋण की जानकारी	---'''---
21.	समस्त मांग संग्रहण पंजी व रसीद बुकें	रजिस्टर	कर संग्रहण की जानकारी	6 वर्ष
22.	समस्त फीस पंजीयां	रजिस्टर	लायसेंस फीस	---'''---
23.	कांजीहाउस पंजी व अभिलेख	रजिस्टर व पंजी	कांजी हाउस की जानकारी	---'''---
24.	लेखा परीक्षण टिप्पणी	पंजी	परीक्षण टीप व पत्र व्यवहार	---'''---
25.	चालान, विविध बिल व रसीद बुकें व लेखा विभाग के अन्य प्रकरण ।	फार्म व बुकें	वसूली व जमा की जानकारी	4 वर्ष
26.	निर्माण कार्यों के प्राकलन/बिल प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका	फार्म व बिल बुक	निर्माण कार्यों सम्बन्धी जानकारी	---'''---
27.	मस्टर रोल	प्रपत्र	मजदूरी भुगतान	4 वर्ष
28.	बजट अनुमान	प्रपत्र	बजट	4 वर्ष
29.	आवेदन पत्र/पत्राचार	नस्ती	संबंधित प्रकरण की जानकारी	नियमानुसार निर्धारित अवधि

v/; k; & l kr

e-iz uxj ikfydk vf/kfu; e 1961 ea uxj ikfydk ifj"kn ds uhfr fu/kkjk .k , oa ml ds ifjiky @fdz; kko; u ea ykd ifrfuf/kRo nus ds l Ecl/k ea 0; oLFkk dh fuEu fof"V; kkg ftl ds vlrxr ukxfj dka }kjk fuokfpr ifrfuf/k; ka ¼i k"kh½ rFkk l kekl; ukxfj dka dk ijke'kz iklr gkrk gA

- (1) नगर पालिका परिषद द्वारा निर्धारित की जाने वाली नीति व कार्य व उनका क्रियान्वयन पार्षदों के बहुमत से लिये गये निर्णय से किया जाता है।
- (2) नगर पालिका अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत प्रेसीडेन्ट इन-काउंसिल के गठन का प्रावधान है।
- (क) **id hMIV bu dkmfl y dk xBu &**

- (1) प्रत्येक परिषद के लिये एक प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल होगी जो धारा 43 के अधीन उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख से सात दिन के भीतर निर्वाचित पार्षदों में से अध्यक्ष द्वारा गठित की जावेगी।
- (2) प्रेसीडेन्ट –इन-काउंसिल नगर पालिका परिषद की दशा में अध्यक्ष तथा सात सदस्यों और नगर पंचायत की दशा में अध्यक्ष तथा पांच सदस्यों से मिलकर बनेगी।
- (3) प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल के सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।
- (4) प्रत्येक परिषद में ऐसे विभाग होंगे जो कि किये जाए और प्रेसीडेन्ट- इन-काउंसिल की सदस्य ऐसे विभाग के जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे, प्रभारी बनाये जायेंगे।
- (5) अध्यक्ष, प्रेसीडेन्ट –इन-काउंसिल का पदेन सभापति होगा और यदि उपस्थित रहा तो प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल के सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सम्मेलन में उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिये चुनेंगे।
- (6) इस अधिनियम के अर्न्तविष्ट किस बात के होते हुये भी प्रेसीडेन्ट –इन-काउंसिल अध्यक्ष और सदस्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जैसे कि विहित किया जाए।

- (ख) **dR; %&**

- (1) 50 हजार या उससे अधिक जनसंख्या की दशा में 15000 से अधिक किन्तु 2 लाख तक के व्यय को स्वीकृति। 50 हजार से कम जनसंख्या की दशा में 10000 से अधिक किन्तु 1 लाख तक के व्यय की स्वीकृति।

- (2) अधिनियम की धारा -93 (1) 94(1) ,(2) ,121 (1) , 126, 160, 168, 168 (7) 228, 235, 237, 238, 249, 253 (1) (3), 255 (1) 261, 262 (1) (3), 263, 265, 267, 272, 273, 274 एवं 281 द्वारा परिषद में वेष्टित शक्तियों का प्रयोग।
- (3) मुख्य नगर पालिका अधिकारी के क्षेत्राधिकार के ऊपर के प्रकरण संबंधित विभाग के प्रभारी सदस्य को निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए।
- (4) अधिनियम की धारा 57 (1), 61, 62, 71(1), 138, 142 (1) 176 तथा 189 ए के अन्तर्गत परिषद में वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करने।

id hM&V bu dkmf l y l nL; x.k%&

अ.क्रं.	नम	वार्ड क्रमांक
1.	श्री हरिओम चौरसिया अध्यक्ष	पदेन अध्यक्ष
2.	श्री गोविन्दराम चौरसिया	सदस्य - 5
3.	श्रीमती अनीता मिलन	सदस्य - 3
4.	श्री कृष्ण कुमार शर्मा	सदस्य - 6
5.	श्रीमती सरोज चौरसिया	सदस्य - 14
6.	श्री शंकरलाल चौरसिया	सदस्य - 1

- (5) कर्तव्य एवं दायित्व - उपरोक्त पैरा-3 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यों व कर्तव्यों का सम्पादन।
- (6) प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल की बैठक की कार्यवाही कार्यवृत्त पुस्तिका में लेखबद्ध की जावेगी व नागरिकों को उसके निरीक्षण का नियमानुसार अधिकार है।
3. अधिनियम की धारा 71 के अन्तर्गत निर्वाचित पार्षदों की सलाहकार समितियों के माध्यम से विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों व नीतियों पर सलाह प्राप्त की जाती है।
4. अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत परिषद आवश्यकतानुसार अधिनियम के प्रयोजनों से सम्बन्धित किसी भी प्रकरण में जांच व प्रतिवेदन हेतु पार्षदों की परामर्षदात्री समिति गठित करने का प्रावधान है।
5. अधिनियम की धारा -72 के अंतर्गत नागरिकों की वार्ड समिति का गठन कर उनका परामर्ष नीति निर्धारण व कार्य सम्पादन में सुनिश्चित किये जाने की भी व्यवस्था है।
6. अधिनियम की धारा 122 क के अन्तर्गत परिषद लेखाओं का सामाजिक अंकेक्षण करवाने की व्यवस्था करने के लिये अधिकृत है।
7. अधिनियम की धारा 325 के अन्तर्गत शासन के निर्देशों के अनुसार किसी भी विषय में आम नागरिकों की राय प्राप्त करना परिषद के लिये बंधनकारी है।

v/; k; & vkB

vf/kfu; e ds vrxr fuEu l fefr; ka ds xBu dk i ko/kku gS %&

(1) सलाहकार समिति (धारा 71)

अ.क्र.	नाम समिति	सदस्यों के नाम	योग्यता
1	2	3	4
1.	खाद्य नागरिक आपूर्ति स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग	1. श्रीमती अनीता मिलन (सभापति) 2. श्री प्रमोद कुमार दुबे (सदस्य) 3. श्री कालीचरन शर्मा (सदस्य)	साक्षर बी.ए. दसवीं
2.	शिक्षा/महिला तथा बाल कल्याण विभाग	1. श्रीमती सरोज चौरसिया (सभापति) 2. श्रीमती ममता चौरसिया (सदस्य) 3. श्री रामप्रकाश बघेल (सदस्य)	साक्षर इण्टरमिडियेट साक्षर
3.	पुर्नवास,नियोजन विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग	1. श्री शंकर लाल चौरसिया (सभापति) 2. श्री रामगोपाल चौरसिया (सदस्य) 3. श्रीमती मीरा देवी (सदस्य)	सातवी साक्षर साक्षर
4.	राजस्व तथा बाजार घाट	1. श्री गोविन्द चौरसिया (सभापति) 2. श्री राजेन्द्र सिंह जाटव (सदस्य) 3. श्री वीरेन्द्र तिवारी (सदस्य)	दसवी हायरसेकेण्डरी आठवी
5.	आवास-पर्यावरण, लोक निर्माण एवं जल कार्य विभाग	1. श्री कृष्ण कुमार शर्मा (सभापति) 2. श्री मुरारीलाल चौरसिया (सदस्य) 3. श्रीमती सुषीला चौरसिया (सदस्य)	मिडिल हायरसेकेण्डरी सातवी

xBu& प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल के विभागीय पदाधिकारी एवं अन्य 5/3 निर्वाचित पार्षदों को सम्मिलित करते हुए समिति अध्यक्ष द्वारा सलाहकार समिति का गठन किया गया।

dk; l %&

- (1) सम्बन्धित विभाग के कार्यों बाबत सुझाव देना।
- (2) म.प्र. नगर पालिका (सलाहकार समितियों) के कर्तव्य तथा उनके कामकाज के संचालन हेतु प्रक्रिया नियम 1997 में दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट कर्तव्य एवं कर्तव्य नियम की प्रति संलग्न की जावे सूची अनुसार –

वृद्धि

अनुक्रमांक	समिति का नाम	समिति के कर्तव्य एवं षक्तियों
(1)	(2)	(3)

अवस-पर्यावरण, लोक निर्माण एवं जल कार्य समिति

- | | |
|--|--|
| <p>1. आवास-पर्यावरण, लोक निर्माण एवं जल कार्य समिति।</p> | <p>1. नगर पंचायत के प्रबंध तथा नियंत्रण के अधीन सभी मार्गों, पुलों, नालियों एवं भवनों के रख-रखाव न नये निर्माण कार्यों की अनुषंसा करना।</p> <p>2. नगर पंचायत के अधीन सार्वजनिक उद्यानों/बगीचों के रख-रखाव एवं निर्माण कार्यों की अनुषंसा करना।</p> <p>3. नगर पंचायत सीमा में स्थित चौराहों का जन सहयोग से विकास करना और निजी संस्थान के माध्यम से चौराहों का विकास करने के लिए एवं उनके उचित रख-रखाव करने संबंधी प्रस्ताव तैयार करना।</p> <p>4. सार्वजनिक मार्गों, भवनों की प्रकाश व्यवस्था का निरीक्षण एवं उसे विकसित करने के उपाय सुझाना।</p> <p>5. सड़कों के नामकरण तथा भवनों पर नंबर डालने संबंधी प्रस्ताव तैयार करना।</p> <p>6. ऐसी सामग्री के क्रय, जो स्थायी समिति या प्रेसिडेंट इन काउंसिल या नगर पंचायत के क्षेत्रधिकार से संबधित हो की परीक्षण उपरांत अनुषंसा सहित यथा स्थिति, प्रेसिडेंट इन काउंसिल अथवा परिषद निगम को अग्रेषित करना।</p> <p>7. नगर पंचायत के प्रबंध तथा नियंत्रण के अधीन नगर के जलप्रदाय और जलकार्य से संबधित योजनाओं की अनुषंसा करना।</p> |
|--|--|

8. सार्वजनिक नलों (पब्लिक स्टेण्ड पोर्ट) के लिये प्रस्ताव तैयार करना।
9. प्रभावशील नियमों के अनुसार उपभोक्ताओं को घरेलू प्रयोजन के लिये 1/2 इंच जल संयोजन (कनेक्शन) स्वीकृत करना।
10. अनाधिकृत जल संयोजनो (कनेक्शनो) को रोकना और असंयोजित (डिसकनेक्ट) करना एवं परिस्थिति आवश्यकता एवं जल की उपलब्धता के अनुसार उनहे नियमों के अधीन नियमित करने की मंजूरी देना।
11. टैंकरो द्वारा जल प्रदाय व्यवस्था पर निगमरानी रखना ताकि मांग के अनुसार जल, प्रदाय सुनिश्चित किया जा सके।
12. आपालकालीन स्थिति में वैकल्पिक स्रोतों से जल प्रदाय की व्यवस्था करना साथ ही तथ्यों से अवगत कराते हुये जन साधारण को समझाइष देना।
13. जल के अपव्यय को रोकने के उपाय संबंधी प्रस्ताव तैयार करना एवं जन जागृति के माध्यम से जल अपव्ययों को रोकने के लिये प्रयास करना एवं पाईप लाईन में सीधे पंप लगाकर जल प्राप्त करने वालों के विरुद्ध कार्यवाई करना।
14. जल कर वसूली में समुचित सहयोग देना।
15. जल प्रदाय की लागत के अनुरूप जल दर पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव करना ताकि जल प्रदाय योजना आत्मनिर्भर हो सके।
16. जल की उपलब्धता के अनुसार जल प्रदाय की समय सरिणी तैयार करने हेतु प्रस्ताव की अनुषंसा करना।
17. पीने, नहाने तथा भोजन बनाने के प्रयोजन के लिये जल को दूषित होने से

बचाने के उपाय करना, सार्वजनिक प्याऊ की व्यवस्था संबंधी प्रस्तावों का परीक्षण करना।

18. जल प्रदाय के अधीन पंप हाउस, फिल्ट्रेशन प्लान्ट, ओव्हर हेड टैंक, पाईप लाईन आदि की सुरक्षा के उपाय सुझाना।
19. जल (प्रदूषण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1947 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1947 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अधीन पंचायत को सौंपे गये कर्तव्यों का निष्पादन कराना।
20. भूमिगत नालियों का रख-रखाव एवं नये निर्माण के प्रस्ताव तैयार करना।
21. जल प्रदाय व्यवस्था में जल शुद्धिकरण एवं संधारण के नियम समस्त आवश्यक सामग्री के क्रय के लिये प्रचलित नियमों का पालन सुनिश्चित करना एवं समय-समय पर भौतिक सत्यापन करना।

2. खादय आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा समिति	<ol style="list-style-type: none">1. सार्वजनिक नागरिक आपूर्ति वितरण योजना के अधीन समिति को सौंपे गये समस्त शाक्तियों एवं कर्तव्यों का पर्यवेक्षण।2. उचित मूल्य की दुकानों का पर्यवेक्षण करना एवं उनके क्रियाकलापों में सुधार के उपाय सुझाना।3. राशनकार्ड सही तौर पर और सरलता से उपलब्ध हो सकें इसके लियें कारगर उपाय सुझाना।4. खाद्य एवं पेय पदार्थों के लायसेंस आदि पर निगरानी रखना।5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सहकारिता के माध्यम से सुदृढ़ बनाना।
---	--

6. सफाई व्यवस्था का पर्यवेक्षण एवं इसमें सुधार के उपायों को सुझाव देना ।
7. नगर की सड़को नालियों, सार्वजनिक स्थलों की सफाई तथा नगर में विष्टा तथा कूड़ा-करकट आदि को व्यवस्थित रूप में हटाये जाने हेतु प्रस्ताव का परीक्षण कर अनुषंसा करना ।
8. सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु वधषाला, टीकाकरण और खतरनाक व्यापारो को नियत्रित करने आदि से संबधित कार्यों के संबध में प्रस्ताव तैयार करना ।
9. खाद्य अपमिश्रण निवारण संबधी कार्यों पर निगरानी रखना ।
10. स्वास्थ्य संबधी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में नगर पंचायत की भागीदारी को सुनिश्चित करना ।
11. नगर पंचायत के सभी औषधालयों का पर्यवेक्षण करना और उनमें सुधार के उपाय सुझाना ।
12. जन साधारण के बीच स्वास्थ्य सम्बन्धी उपायों का प्रचार करना ।
13. शवों तथा मृत पशुओं के निपटारे की समुचित व्यवस्था हेतु उपाय सुझाना ।
14. शमषान तथा कब्रिस्तान स्थल के प्रबंध तथा संधारण का पर्यवेक्षण एवं उनके विकास के लिये जन सहयोग प्राप्त करना ।
15. सार्वजनिक शौचालयों/मूत्रालयों की नियमित सफाई का पर्यवेक्षण करना ।
16. महामारी को फैलाने पर नियंत्रण के समुचित उपाय करना ।

17. मांस और मछली बाजारों का स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित रख-रखाव सुनिश्चित करना।

3. राजस्व तथा बाजार समिति समस्त

1. नगर पंचायत के नियंत्रण के अधीन बाजारों के प्रबंध का पर्यवेक्षण करना।
2. साप्ताहिक बाजार के लिये स्थलों का चयन करना और उनके समुचित रख-रखाव के उपाय करना।
3. बाजारों को अतिक्रमण रहित रखने के उपाय सुझाना।
4. राजीव स्वावलंबन योजना के क्रियान्वयन को गति देना।
5. नये बाजारों/शॉपिंग सेन्टरों के लिये प्रस्ताव तैयार करना।
6. विभिन्न व्यवसायों के लिये पावर/विद्युत कनेक्शन के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुषंसा करना।
7. नगर के विभिन्न स्थानों पर सायकल/स्कूटर स्टैण्ड एवं कार पार्किंग के लिये स्थल चयन करना एवं नियमानुसार उन्हें ठेके पर देने की कार्यवाही करना।
8. विशेष अवसरों पर अस्थाई बाजार हेतु स्थल चयन कर उन्हें आवंटन की कार्यवाही करना।

-
4. शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण समिति
1. नगर पंचायत द्वारा संचालित शालाओं के प्रबंध में सुधार के उपाय सुझाना ।
 2. शिक्षा समिति को राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन ।
 3. शैक्षणिक लक्ष्यों को अग्रसर करने के उपाय करना ।
 4. वाचनालय एवं पुस्तकालय का प्रबंध और उन पर नियंत्रण करना एवं उनकी विस्तार योजनाओं को क्रियान्वित करना ।
 5. शैक्षणिक संस्थाओं से प्राप्त अनुदार सम्बन्धी आवेदन पत्रों पर सम्यक् रूप से विचारण के पश्चात् अपनी अनुषंसा करना ।
 6. साक्षरता अभियान को गति देना ।
 7. शिक्षण संस्थाओं में मध्याह्न भोजन व्यवस्था का पर्यवेक्षण करना ।
 8. खेलकूद के क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिये उपाय सुझाना ।
 9. विद्यार्थियों के गणवेश के लिये प्रस्ताव तैयार करना ।
 10. पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार हेतु नई शालायें प्रारंभ करने के प्रस्ताव तैयार करना ।
 11. विभिन्न कॉलोनियों में शिक्षण संस्थाओं के लिये आरक्षित भूमियों को आवंटित करने की नीति तैयार करना एवं उनके आवंटन के प्रस्ताव तैयार करना ।
 12. प्रतिभाषाली विद्यार्थियों को पारितोषिक / छात्रवृत्ति देने हेतु प्रस्ताव तैयार करना ।
 13. राज्य सरकार द्वारा महिला तथा बाल कल्याण विभाग से संबंधित समिति को

सौंपे गये समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करना ।

14. समाज कल्याण विभाग के अधीन निराश्रित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित समिति को राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करना ।
15. वृद्धाश्रमों की व्यवस्था करना ।
16. आंगनवाडी, झूलाघर की व्यवस्था करना ।
17. महिलाओं के उत्थान एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने के आषय से महिला, मंडलों, महिला नागरिक बैंक आदि के गठन व संचालन में आवश्यक सहयोग देना ।
18. सरकार द्वारा घोषित महिला नीति के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना ।
19. महिलाओं की सहकारी समितियां गठित कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ।
20. कार्यकारी महिलाओं के लिये होस्टल की व्यवस्था करना ।
21. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु महिलाओं एवं बच्चों के लिये स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना ।
22. यह सुनिश्चित करना कि महिलाओं को प्रौढ शिक्षा का लाभ मिले ।
23. बाल श्रमिक की पहिचान एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था कराना ।

और उसे क्रियान्वित करने के सुझाव देना ।

11. आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित करना ।
12. अतिरिक्त कर्मचारियों का आंकलन करना और उनके कार्यभार को ध्यान में रखते हुए उत्तम कार्मिक व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार करना ।
13. प्रेसिडेंट इन काउंसिल के क्षेत्राधिकार से संबंधित, पदोन्नति प्रकरणों के अभ्यावेदनों पर नियमानुसार अभिमत देना ।

नोट : (1) सभी समितियों को उनसे सम्बन्धित विभागों की आवश्यकताओं का आंकलन करने और इस प्रयोजन हेतु प्रस्ताव तैयार कर, यथास्थिति, निगम/परिषद या स्थाई समिति को प्रस्तुत करने का अधिकार होगा, तथा

(2) सभी समितियां, उनसे सम्बन्धित विभागों के लिए, प्रत्येक वर्ष बजट में शामिल करने के लिये प्रस्ताव तैयार करेंगी और बजट मनाते समय ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा ।

(3) कर्तव्यों में समाविष्ट कार्यों के लिये निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति देना व

(4) ऐसे प्रकरण प्रेसिडेंट इन-कौंसिल या परिषद में प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देना ।

बैठक :-

(1) समितियों की बैठक प्रति दो माह में कम से कम एक बार होती है ।

(2) कार्यवृत्त जनसामान्य के अवलोकन हेतु उपलब्ध है ।

v/; k; &ukS

i kf/kdkjh ds vf/kdkfj ; ka vkSj de/kkfj ; ka fu; kf'rk dh funf'kdk

अ.क्रं.	नाम पदाधिकारी / कर्मचारी	पद	पता	फोन नं.
1	2	3	4	5
1.	श्री हरिओम चौरसिया	टध्यक्ष	पुराना पुरा बिलौआ हाल निवास चौरसिया कॉलोनी गुडीगुडा का नाका, ग्वालियर	957524-2423183 मो. 94251-16715
2.	श्री राजेन्द्र जाटव	डपाध्यक्ष	माता वाला मौहल्ला हरिजन बस्ती, बिलौआ	957524-270346
3.	श्री शंकरलाल चौरसिया	पार्षद	बाडे के पीछे, बिलौआ	
4.	श्रीमती अनीता जाटव	पार्षद	हरिजन बस्ती, बिलौआ	
5.	श्री मुरारीलाल चौरसिया	पार्षद	बडे मंदिर के पास, बिलौआ	
6.	श्री गोविन्द चौरसिया	पार्षद	झिंझरी का मौहल्ला, बिलौआ	957524-270295
7.	श्री कृष्ण कुमार शर्मा	पार्षद	केशर बाबा मौहल्ला, बिलौआ	957524-270280
8.	श्रीमती सुषीला चौरसिया	पार्षद	खिड़की का पुरा, बिलौआ	
9.	श्री प्रमोद कुमार दुबे	पार्षद	पटेल पौर, बिलौआ	957524-270341
10.	श्री रामगोपाल चौरसिया	पार्षद	बस स्टेण्ड रोड, बिलौआ	
11.	श्रीमती ममता चौरसिया	पार्षद	टंकी के पास, बिलौआ	
12.	श्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी	पार्षद	राक्ष के महादेव, बिलौआ	
13.	श्रीमती मीरा दुबे	पार्षद	कुंअर बाबा की अथाई, बिलौआ	

14.	श्री कालीचरन शर्मा	पर्षद	बाडे मंदिर के पास बिलौआ	
15.	श्रीमती सरोज चौरसिया	पर्षद	गणेश चौराहा, बिलौआ	
16.	श्री रामप्रकाश बघेल	पर्षद	पिढाई, बिलौआ	
17.	श्री प्रदीप शर्मा	मनोनीत पर्षद, विधायक	कुंअर बाबा की अथाई, बिलौआ	

i kf/kdkjh ds vf/kdkfj ; ka vkj de'pkfj ; ka fu; kftrka dh funf'kdk

अ.क्र.	नाम पदाधिकारी / कर्मचारी	पद	पता	फोन नं.
1	2	3	4	5
1.	श्री महेश प्रसाद दीक्षित	सी.एम.ओ	नगर पंचायत बिलौआ	957524- 270217 मो. 98262-40663
2.	श्रीमती हेमलता चौरसिया	निम्न श्रेणी लिपिक	बाडे के अंदर, बिलौआ	
3.	श्री लक्ष्मीनारायण वर्मा	भृत्य	टंकी के पास, बिलौआ	
4.	श्री बावलाल चौरसिय	भृत्य	मोटे महोदव के पास, बिलौआ	
5.	श्री बनवारी लाल जाटव	भृत्य	हरिजन बस्ती, बिलौआ	
6.	श्री मुकेश जाटव	भृत्य	ग्राम समूदन	
7.	श्री दिनेश चन्द्र त्रिपाठी	सहायक राजस्व निरीक्षक	टंकी रोड, बिलौआ	
8.	श्री भीषम सिंह जाटव	सहायक राजस्व निरीक्षक	हरिजन बस्ती, बिलौआ	
9.	श्री वासुदेव शर्मा	सहायक राजस्व निरीक्षक	ग्राम कल्याणी	

10.	श्री सीताराम राठौर	स्हायक राजस्व निरीक्षक	बाडे के पीछे, बिलौआ	
11.	श्री ग्यादीन चौरसिया	पम्प ड्रायवर	बाबा मंदिर रोड़, बिलौआ	
12.	श्री वासुदेव स्वर्णकार	लाईनमैन	गणेश चौराहा बिलौआ	957524 – 270308
13.	श्री दौजीराम खरे	सफाई कामागार	हरिजन बस्ती, बिलौआ	
14.	श्रीमती रामप्यारी खरे	सफाई कामागार	हरिजन बस्ती, बिलौआ	
15.	श्री धनीराम खरे	सफाई कामागार	हरिजन बस्ती, बिलौआ	
16.	श्री रतनलाल खरे	सफाई कामागार	हरिजन कॉलोनी, बिलौआ	
17.	श्री सुरेश खरे	सफाई कामागार	बागपुरा, बिलौआ	
18.	श्री संजय खरे	सफाई कामागार	हरिजन कॉलोनी, बिलौआ	
19.	श्री राजेश खरे	सफाई कामागार	हरिजन कॉलोनी, बिलौआ	
20.	श्री अषोक खरे	सफाई कामागार	हरिजन कॉलोनी, बिलौआ	
21.	श्री राजू खरे	सफाई कामागार	हरिजन कॉलोनी, बिलौआ	
22.	श्रीमती अनीता राजपूत	शिक्षाकर्मी वर्ग 1	शा.जवा.उ.मा.वि. बिलौआ	
23.	श्री सुषील कुमार चौरसिया	शिक्षाकर्मी वर्ग 2	शा.क.मा.वि. बिलौआ	
24.	श्री ओमप्रकाश जाटव	शिक्षाकर्मी वर्ग 2	शा.क.मा.वि. बिलौआ	
25.	श्रीमती नीलम चक्क	शिक्षाकर्मी वर्ग 3	शा.क.मा.वि. बिलौआ	

26.	श्री मोहनलाल चौरसिया	शिक्षाकर्मी वर्ग 3	शा.मा.वि. बिलौआ	
27.	श्रीमती सविता गौतम	शिक्षाकर्मी वर्ग 3	शा.मा.वि. बिलौआ	
28.	श्रीमती इन्दू दीक्षित	शिक्षाकर्मी वर्ग 3	शा.मा.वि. बिलौआ	
29.	श्री जगदीष यादव	शिक्षाकर्मी वर्ग 3	शा.प्र.वि. बहादुरपुर	
30.	श्री विनोद वैष्य	शिक्षाकर्मी वर्ग 3	शा.प्र.वि. बहादुरपुर	
31.	श्री बृजेश कुमार जाटव	शिक्षाकर्मी वर्ग 3	शा.प्र.वि. गंगापुर	
32.	श्रीरामलाल राम	शिक्षाकर्मी वर्ग 3	शा.प्र.वि. गंगापुर	

v/; k; &nl

पत्रक मासिक पारिश्रामिक जो प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया है, तथा उसके विनियमों में उप-बंधित क्षतिपूर्ति/मुआवजे प्रतिकर की पद्धति ।

अ. क्र.	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	पद	मासिक उपलब्धि वेतन+ मंहगाई	विनियमों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति				वेतनमान
				गृह भाडा	मेडीकल भत्ता	वाहन भत्ता	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एम.पी. दीक्षित	सी.एम.ओ.	मू. वे. 6000 म. 3300 कुल 9300	150.00		75.00	9525.00	4000— 6000
2.	श्रीमती हेमलता चौरसिया	निम्न श्रेणी लिपिक	मू. वे. 3425 म. 1884 5309.00	86.00			5395.00	3050—4590
3.	लक्ष्मीनारायण वर्मा	भृत्य	मू. वे. 3200 म. 1760 4960.00	80.00			5040.00	2550—3200
4.	बाबूलाल चौरसिया	भृत्य	मू. वे. 3200 म. 1760 4960.00	80.00			5040.00	2550—3200

5.	बनवारीलाल जाटव	भृत्य	मू. वे. 2550 म. 1403 3953.00	64.00			4017.00	2550—3200
6.	मुकेश जाटव	भृत्य	मू. वे. 2550 म. 1403 1353.00	64.00			4017.00	2550—3200
7.	दिनेश चन्द्र त्रिपाठी	सहायक राजस्व निरीक्षक	मू. वे. 4350 म. 2393 4743.00	109.00			6852.00	3050—4590
8.	सीताराम राठौर	सहायक राजस्व निरीक्षक	मू. वे. 4350 म. 2393 4743.00	109.00			6852.00	3050—4590
9.	वासुदेव शर्मा	सहायक राजस्व निरीक्षक	मू. वे. 4110 म. 2261 6371.00	109.00			6474.00	3050—4590
10.	भीषम सिंह जाटव	सहायक राजस्व निरीक्षक	मू. वे. 4030 म. 2217 6247.00	100.00			6347.00	3050—4590
11.	ग्यादीन चौरसिया	पम्प झायवर	मू. वे. 4350 म. 2393 4743.00	109.00			6852.00	3050—4590

12.	वासुदेव स्वर्णकार	लाईन मैन	मू. वे. 3200 म. 1760 4960.00	80.00			5040.00	2550-3200
13.	दौजीराम खरे	सफाई कामागार	मू. वे. 3200 म. 1760 4960.00	80.00			5040.00	2550-3200
14.	अशोक कुमार खरे	सफाई कामागार	मू. वे. 3200 म. 1760 4960.00	80.00			5040.00	2550-3200
15.	धनीराम खरे	सफाई कामागार	मू. वे. 3200 म. 1760 4960.00	80.00			5040.00	2550-3200
16.	रतनलाल खरे	सफाई कामागार	मू. वे. 3200 म. 1760 4960.00	80.00			5040.00	2550-3200
17.	श्रीमती रामप्यारी खरे	सफाई कामागार	मू. वे. 3200 म. 1760 4960.00	80.00			5040.00	2550-3200
18.	सुरेश खरे	सफाई कामागार	मू. वे. 3020 म. 1661 4960.00	80.00			5040.00	2550-3200

19.	राजू खरे	सफाई कामागार	मू. वे. 2550 म. 1403 6567.00	64.00			4017	2550—3200
20.	संजय खरे	सफाई कामागार	मू. वे. 2550 म. 1403 6567.00	64.00			4017	2550—3200
21.	राजेश खरे	सफाई कामागार	मू. वे. 2550 म. 1403 6567.00	64.00			4017	2550—3200
22.	श्रीमती अनीता राजपूत	शिक्षाकर्मी वर्ग 1	मू. वे 1360 म. 2992 4352.00	—	—	—	4352	1200—2000
23.	श्री सुषील कुमार चौरसिया	शिक्षाकर्मी वर्ग 2	मू. वे. 1090 म. 2398 3488.00	—	—	—	3488	1000—1200.00
24.	श्री ओमप्रकाश जाटव	शिक्षाकर्मी वर्ग 2	मू. वे. 1090 म. 2398 3488.00	—	—	—	3488	1000—1200.00
25.	श्रीमती नीलम चक्क	शिक्षाकर्मी वर्ग 3	मू. वे. 880 म. 1936 2816.00	—	—	—	2816	800—1200.00

26.	श्री मोहनलाल चौरसिया	शिक्षाकर्मी वर्ग 3	मू. वे. 880 म. 1936 2816.00	—	—	—	2816	800—1200.00
27.	श्रीमती सविता गौतम	शिक्षाकर्मी वर्ग 3	मू. वे. 880 म. 1936 2816.00	—	—	—	2816	800—1200.00
28.	श्रीमती इन्दू दीक्षित	शिक्षाकर्मी वर्ग 3	मू. वे. 880 म. 1936 2816.00	—	—	—	2816	800—1200.00
29.	श्री जगदीष यादव	शिक्षाकर्मी वर्ग 3	मू. वे. 880 म. 1936 2816.00	—	—	—	2816	800—1200.00
30.	श्री विनोद वैष्ण	शिक्षाकर्मी वर्ग 3	मू. वे. 880 म. 1936 2816.00	—	—	—	2816	800—1200.00
31.	श्री बृजेश कुमार जाटव	शिक्षाकर्मी वर्ग 3	मू. वे. 880 म. 1936 2816.00	—	—	—	2816	800—1200.00
32.	श्रीरामलाल राम	शिक्षाकर्मी वर्ग 3	मू. वे. 880 म. 1936 2816.00	—	—	—	2816	800—1200.00

v/; k; &X; kjg

i R; d , t d l h ¼ foHkx½ ds fy; s vkofVr ctV ¼ vk; , oa 0; ; i =d½

(क) vk; &0; ; %&

अ.कं.	शीर्ष	उपशीर्ष	प्रावधान आय 2004-05	वास्तविक आय 2004-05	प्रावधान आय 2005-06	वास्तविक आय 2005-06
1	2	3	4		5	6
1.	क. नगर पालिका की दर और कर	1. गृह और भूमि पर कर 2. वहनों और पशुओं पर कर क. पशुओं पर कर	निल निल निल	निल निल निल	निल निल निल	निल निल निल
		ख. वाहनों पर अस्थाई दखल	280000.00	262812.00	280000.00	265040.00
		3. पथ कर (निर्यात कर)	175000.00	103430.00	140000.00	77587.00
		4. चुंगी	1200000.00	1031900.00	1296000.00	39500.00
		5. सम्पत्ति कर	20000.00	4849.00	20000.00	438900.00
		11. प्रकाशकर (समेतिक कर)	1170015.00	113000.00	1333312.00	30625.00
		ख. विद्यमान वर्ष का संग्रहण	236880.00	30600.00	236880.00	39500.00
		14. यात्रियों पर कर (क) रेल द्वारा (ख) सड़क द्वारा (यात्रीकर क्षतिपूर्ति)	5000.00	25700.00	5000.00	
		19. अल्प सविस्तार उल्लेख किया जावे				
		1. पशु पंजीयन फीस	2000.00	—	2000.00	—

		2. बाजार फीस	—	39930	10000.00	10060.00
		3. आवेदन शुल्क	2000.00	2757.00	3000.00	1245.00
		4. अल्प विविध	8000.00	2080.00	8000.00	1245.00
		(योग क्र.)	3143895.00	1617046.00	3379192.00	862957.00
	ख. विशेष अधिनियमों के अधीन प्राप्तियां	1. कांजी हाऊस	7800.00	3300.00	7800.00	2800.00
		3. मद्य और औषधियों की विक्री की अनुप्राप्तियां	200.00	—	200.00	—
		4. मुद्रांक शुल्क	45000.00	—	20000.00	—
		(योग ख)	53000.00	3300.00	28000.00	
	ग. नगर पालिका की सम्पत्ति से करारोपण को छोड़कर अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व	4. मल वाहनों से प्राप्तियां करों और दरों को छोड़कर — (गंदे पानी की नालियां ठेका)	1000.00	3500.00	2000.00	1966076.00 —
		7. औषधालयों और चिकित्सालयों से प्राप्त फीस राजस्व	—	—	—	—
		ज. विविध प्राप्तियां नगर विकास शुल्क	2500	1600	2500.00	—
		अन्य फीस उल्लेख किया जाये				
		ग. आटा चक्की के लिये अनुज्ञप्ति फीस	500.00	—	500.00	—
		घ. ईट, भट्टा स्थापित किये जाने के लिये अनुज्ञप्ति फीस	200.00	—	200.00	—
		ड. खाद्य और पेय विक्रय पदार्थों के विक्रय के लिये अनुज्ञप्ति फीस	200.00	1480.00	2000.00	750.00

		ट. प्रतिलिपि फीस प्रमाण पत्र	2000.00	2308.00	2000.00	64.00
		9. अस्थाई तौर से प्राप्त किराया (क) खुली भूमि का (ख) भवन व गुमटी दुकान	— — 2000.00	— —	— —	— —
		12. नगर पालिका सम्पत्ति को हानि पहुंचाने का प्रतिकार	5000.00	—	5000.00	—
		14. विविधानों पर ब्याज	5000.00	—	20000.00	—
		15. पुराना भण्डार और इमारती समान के विक्रय आगम	2000.00	—	2000.00	—
		19. विष्ठा से बनाये गये कम्पोस्ट खाद के विक्रय आगम (गोबर ठेका)	—	—	—	—
		योग ग. अग्रेषित	22200.00	8888.00	38200.00	1969740.00
	घ. अनुदान अंशदान	सामान्य और विशेष प्रयोजनार्थ शासन क. सामान्य प्रयोजन के लिये	— 50000.00	— 1738600.00	50000.00	840500.00
		ख. विषिष्ट प्रयोजनार्थ (स्वर्ण जयंती निर्माण)	2000000.00	107800.00	2000000.00	572000.00
		ग. शैक्षणिक कार्यो के प्रयोजन के लिये (मध्यान्ह भोजन)	300000.00	244450.00	300000.00	37950.00
		(योग घ)	2350000.00	2090850.00	2350000.00	1450450.00
	ड. जलकर से प्राप्तियां	1. जलकर मांग	294840.00	138121.00	297000.00	49511.00
		2. जल कर विक्रय बकाया	701471.00	85589.00	802959.00	36696.00
		3. मीटरों से किराया नल कनेक्शन शुल्क	5000.00	6470.00	5000.00	—

		4. विधानों पर ब्याज (अमानत)	5000.00	3000.00	5000.00	—
		5. अन्य टेंकर किराया	20000.00	12700.00	20000.00	9000.00
		(योग ड)	1026311.00	245880.00	1129959.00	
	छ. विविध	प्रायवेट व्यक्तियों को दी गई सेवाओं के कारण प्राप्तियां (चेनपुली इत्यादि) अन्य	3000.00	—	3000.00	— 1743
		ख. मुद्रणालय से प्राप्तियां (टेण्डर फार्म एवं रसीद विक्री)	—10000.00	7790.00	10000.00	5545.00
		ग. हड्डी चमड़ा ठेका	—		5000.00	3700.00
		2. अन्य (षुष्क शौचालय)	30000.00	11102.00	25000.00	—
		योग छ	43000.00	18892.00	43000.00	104195.00
	ज. असाधारण और ऋण	4. अग्रिम क. स्थाई	5000.00	—	5000.00	—
		ख. अन्य	10000.00	—	10000.00	—
		5. निक्षेप	80000.00	—	90000.00	18870.00
		योग ज	95000.00	503700.00	10500.00	18870.00
		कुल प्राप्तियां का योग	6733406	4488556	7073351.00	2538076.00
		प्रारंभिक षिलक योग	1112983.00	—	2214110.00	—
		महा योग	7846389.00	—	9287461.00	—

0; ; %

अ.क्रं.	शीर्ष	उपशीर्ष	प्रावधान व्यय 2004-05	वास्तविक व्यय 2004-05	प्रावधान व्यय 2005-06	वास्तविक व्यय 2005-06
1	2	3	4	5	6	7
	सामान्य प्रशासन एवं संग्रहण प्रभार	क. कार्यालय स्थापना और पदाधिकारियों का वेतन	328560	357189	336504.00	117445.00

		ख. भत्ता एवं अन्य	193164	26822	199716.00	—
		ग. आकस्मिकता	80000	96673	80000.00	
		घ. अस्थायी स्थापना	50000		50000.00	—
		2. राजस्व का संग्रहण				
		क. (1) राजस्व विभाग के कार्यालय की स्थापना तथा पदाधिकारियों का वेतन	201600	262719	208128.00	112416.00
		(2) भत्ता एवं अन्य	115536	—	124164.00	—
		(3) आकस्मिकता	25000	—	25000.00	—
		(5) पेशन उपदान	100000	—	100000.00	—
	ख. सार्वजनिक सुरक्षा	2. प्रकाष				
		2. सामग्री क्रय लैम्प तेल बल्ब, उपकरण मरम्मत आदि	250000	7234	250000.00	7195.00
		3. विद्युत प्रवाह	25000	194736	35000.00	281167.00
		4. नये कार्य	100000		200000.00	
		3. वन्य प्राणी सर्प और भटकते कुत्तों का विनाश	2000		2000.00	
		4. विविध	75000		71000.00	11938.00
		योग ख	452000	945373	558000.00	248994.00
	ग. जन स्वास्थ्य एवं सुविधाएं	1. जलप्रदाय				
		क. स्थापना एवं संधारण	127800		130380.00	
		1. स्थापना पत्ता एवं अन्य	73224	120591	77604.00	51251.00
		2. आकस्मिक इले. बिल सहित	200000	—	200000.00	75210.00
		3. मरम्मत संधारण	100000	129653	150000.00	
		ख. नये कार्यों पर व्यय	500000	856092	600000.00	973958.00

		ग. कुओं और जलाशयों का निर्माण तथा मरम्मत हेण्ड पम्प	200000	—	250000.00	7433.00
		घ. सड़क सफाई वेतन	330360	387154	338748.00	171168.00
		1. स्थापना भत्ता एवं अन्य	169128	5000	201588.00	9695.00
		2. अस्थाई स्थापना	50000	47997	50000.00	—
		3. कचरा घरों की स्थापना एवं मरम्मत	50000	—	50000.00	—
		ड. सड़क सफाई झाड़ू डलिया एवं अन्य उप	50000	—	50000.00	—
		1. स्थापना अल्प विविध मटेरियल	50000	63809	100000.00	9675.00
		3. अन्य प्रभार अन्य डीजल	50000	23615	100000.00	13680.00
		8. कांजी हाउस				
		क. स्थापना				
		ख. आकस्मिकता प्रभार	2500	—	5000.00	—
		ग. कांजी हाउस का निर्माण और उसकी मरम्मत	5000	—	5000.00	—
		12. सामाजिक कल्याणकारी कार्यकलाप	10000	—	100000.00	—
		योग ग	1968012	1633911	2318320.00	1244070.00
		घ. लोक निर्माण				
		क. स्थापना	10000	—	10000.00	—
		ख. भवन	50000	—	100000.00	—
		1. निर्माण			25000.00	—
		2. मरम्मत	25000	500		—
		ग. रास्ते सड़के और नालियां				
		1. नये रास्तो, सड़को और नालियों का निर्माण	1400000	317127	1500000.00	88475.00

		2. मरम्मत और नवीनीकरण स्वर्ण जयंती योजना	300000	588158	300000.00	124835.00
		घ. अंशदान				
		ड. अन्य कार्य	100000	10311	100000.00	2824.00
		योग घ	1885000	327938	2035000.00	91299.00
	ड. सार्वजनिक शिक्षा	1. प्राथमिक शालायें				
		क. स्थापना				
		ख. उपकरण आकस्मिकता मध्यान्ह भोजन	300000	248951	3000.00	7385.00
		4. पुस्तकालय, वाचनालय, म्यूजिक आदि				
		क. स्थापना				—
		ख. आकस्मिकता	10000.00	—	10000.00	—
		5. अंशदान अनुदान				
		ख. विज्ञापन विविध	40000.00	32748 ⁰⁰	40000.00	8630.00
		योग ड	350000	281699	350000.00	16013.00
	च. अंशदान (सामान्य प्रपोजल के लिये)					
	छ. विविध	1. उधार का प्रतिदान जल प्रदाय के लिये, लिये गये				
		क. मूलधन का प्रतिदान अग्रिम	5000	—	50000.00	—
		4. सार्वजनिक प्रदर्शनी मेल	1000	—	1000.00	—
		5. कानूनी प्रभार	15000	1835	20000.00	1200.00
		6. भविष्यनिधि में अंशदान	314000	212936		80775.00
		पेंशन उपादान तथा अनु. क्वा भत्ता	—	—	115000.00	—

		7. टेलीफोन ट्रक कॉल	15000	10038	15000.00	4223.00
		8. लेखा परीक्षा फीस	80000	—	80000.00	—
		9. अन्य (स्वागत समारोह) पार्षदों का परिश्रमिक भत्ता	2000.00 135000.	1304.00	2000.00 90000.00	32265.00
		अन्य जनगणना चुनाव इत्यादि	100000.	4600.00	20000.00	2809935.00
		योग ख	667000.	327386.	348000.00	128698.00
	ज. असाधारण तथा ऋण	क. प्रतिभूतियों में ऋण निवारण विधि को छोड़कर	20000.00	449224.	25000.00	115050.00
		ग. बचत बैंक (बैंक कलेक्शन)	5000.00	868.00	5000.00	
		3. अग्रिम				
		ख. अन्य 5 प्रतिषत संचित विधि- निधि	212170.	—	229918.00	29797.00
		योग ज	317170.	4500920.	339918.00	144847.00
		व्यय का योग	6733042.	5293839.	7072750.00	2695996.00
		अग्रिम शेष	1113347.	—	2214711.00	—
		महा योग	7846389.	—	2287461.00	—

¼[k½ Lohd'r dk; l ; kst uk, a o"kl 2004&2005

अ.कं.	योजना या कार्य का नाम	कुल प्राक्कलन	कुल स्वीकृत राशि	व्यय
1	2	3	4	5
1.	जलप्रदाय (हैण्डपम्प एवं नलकूप खनन)	460000.00	460000.00	260527.00
2.	लोक निर्माण (मूलभूत सुविधा) 1. नगरपालिका पुलिया से कुआ तक सी.सी. रोड निर्माण	227000.00	227000.00	292499.00

	2. द्वौजीराम खरे से मयाराम जाटव तक सी.सी. रोड व नाली निर्माण	50000.00	50000.00	43090.00
3.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार			
	1. वार्ड क्र. 15 गंगापुर में बघेले मौहल्ले से हुकुम सिंह बघेले के मकान तक खरंजा रोड के किनारे नाली	549000.00	549000.00	32750.00
	2. बिजासेन रोड एवं वाईपास रोड पर पुलिया निर्माण	85500.00	85000.00	91535.00
	वर्ष 2005-06 जल प्रदाय 1. नगर में विभिन्न वार्डों में हैण्डपम्प खनन कार्य एवं नलकूप खनन कार्य	1041000.00	1041000.00	1040982.00

ख) लोडिंग; ल, ओ; कस्ट, अ:-

अ.क्रं.	योजना या कार्य का नाम	कुल प्राक्कलन	कुल स्वीकृत राशि	व्यय
1	2	3	4	5
	अयोध्या बस्ती			
1.	1. आंतरिक सड़क सी.सी. रोड/नाली निर्माण	1612000.00	138700.00	79123.00
2.	2. बालबाडी/दुकानों की मरम्मत	166000.00	—	—
3.	3. प्रकाश व्यवस्था	262000.00	—	—
4.	4. पेयजल	359000.00	—	—
5.	5. सार्वजनिक शौचालय 6 सीटर	340000.00	340000.00	—
6.	6. सार्वजनिक मूत्रालय	50000.00	—	—

7.	7. नवीन कचरा घर 06	90000.00	—	—
8.	8. सामुदायक भवन	400000.00	100000.00	कार्य प्रारंभ
9.	9. पार्क निर्माण	30000.00	—	—

v/; k; &ckjg

vunpku ds ifj; ktuk ¼ i kxkka ½ ds fdz; kll; u dh jhfr vkj vkofVr jkf'k 0; ; , oa
fgrxkfg; ka dh l a[; k &

अ.क्र.	परियोजना का नाम	हितग्राहियों के चयन का आधार	प्रशासनिक विभाग	वर्ष 2004-05	प्राप्त आवंटन	व्यय	हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	स्वर्ण जयंती षहरी रोजगार योजना	स्वरोजगार कार्यक्रम	जिला शहरी विकास अधिकरण ग्वालियर	2004-05	64500.00	64500.00	16
2.	रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना	स्वरोजगार कार्यक्रम	जिला शहरी विकास अधिकरण ग्वालियर	2004-05	1250.00	1250.00	1
3.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	डबाकुआ समूह	जिला शहरी विकास अधिकरण ग्वालियर	2004-05	50000.00	50000.00	10
4.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	डबाकुआ समूह	जिला शहरी विकास अधिकरण ग्वालियर	2004-05	50000.00	50000.00	10

5.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	स्वरोजगार कार्यक्रम	जिला शहरी विकास अधिकरण ग्वालियर	2005-06	-	-	8
6.	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन	निराश्रित/ वृद्ध/विकलांग/ विधवा/परित्यागता	पंचायत समाज सेवा ग्वालियर	2004-05	147831.00	105976.00	244
7.	राष्ट्रीय परिवार सहायता	गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन परिवार के मुखिया की 18-65 वर्ष तक के व्यक्ति की मृत्यु होने पर	पंचायत समाज सेवा ग्वालियर	2004-05 2005-06	100000.00 25000.00	100000.00 20000.00	10 2
8.	मातृत्व सहायता	गरीबी रेखा के नीचे ज्ञापन करने वाले हितग्राही को प्रथम व द्वितीय प्रसव तक	महिला बाल विकास ग्वालियर	2004-05	52000.00	33500.00	67

Lo.kz ta rh 'kgjh jkstxkj ; kstuklrxr __.k i klrdrkz fgrxkgh l ph

अ.क्रं.	परियोजना का नाम	हितग्राही का नाम	प्ता	वर्ष 2004-05	चयन का आधार	प्रस्तावित कार्य	ऋण राशि
---------	-----------------	------------------	------	-----------------	----------------	---------------------	---------

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	रामअवतार पुत्र भगवानलाल माहौर	केम्पपुरा 9 बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले	बैकरी	30000.00
2.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	चन्द्रभूषण पुत्र रमेश चन्द्र शर्मा	केशर बाबा मौहल्ला 6 बिलौआ	—	—	भैंस पालन	30000.00
3.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	मुरलीधर पुत्र राधेलाल चौरसिया	हनुमंतपुरा 13 बिलौआ	—	—	किराना दुकान	25000.00
4.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	भरत पुत्र कैलाष नारायण चौरसिया	झिंझरी का पुरा 6 बिलौआ	—	—	रंग पेन्ट	25000.00
5.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	रामेश्वर पुत्र रामप्रसाद यादव	बडे के पीछे बिलौआ	—	—	गल्ला दुकान	25000.00
6.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	रामदास पुत्र विद्याराम कुषवाह	बहादुरपुर 11	—	—	भैंस पालन	30000.00

7.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	विमला पत्नी संजय चौरसिया	न्यापुरा, 3 बिलौआ	—	—	जनरल स्टोर	25000.00
8.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	सरूपी पत्नी प्रभूदयाल प्रजापति	शांतनगर 14 बिलौआ	—	—	मिट्टी बर्तन	25000.00
9.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	रमाशंकर पुत्र मातादीन चौरसिया	बगपुरा 9 बिलौआ	—	—	भैंस पालन	30000.00
10.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	अजीत कुमार पुत्र कुंजीलाल यादव	नगर पालिका के पास बिलौआ	—	—	किराना दुकान	25000.00
11.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	हरिओम पुत्र बल्लीराम चौरसिया	बडा मंदिर 4 बिलौआ	—	—	गल्ला दुकान	25000.00
12.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	राकेश पुत्र मुरलीधर चौरसिया	ब्हई मौहल्ला 8 बिलौआ	—	—	इलैक्ट्रोनिक दुकान	30000.00
13.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	मनीष पुत्र जगदीष चौरसिया	लोहिया बाजार 8 बिलौआ	—	—	प्लास्टिक उद्योग	25000.00

14.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	ओमप्रकाश पुत्र हरगोविन्द साहू	मोदी नगर वार्ड 13 बिलौआ	—	—	भैंस पालन	30000.00
15.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	देवीराम पुत्र रामरतन कुषवाह	बीजासेन 15 बिलौआ	—	—	डेयरी	25000.00
16.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	अशोक पुत्र दुण्डाराम चौरसिया	बडा मंदिर 4 बिलौआ	—	—	चूडी दुकान	25000.00
17.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	कालीचरण पुत्र जुगराम जाटव	जटव बस्ती 2 बिलौआ	—	—	किराने की दुकान	28500.00

Lo.kl ta rh 'kgjh jkst xkj ; kst ukUrxr Vmck dpxk½ varxr __.k i klr vf/kdkjh l ph
Vpys oj l eng i ku dh [ksh½

1.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत	श्रीमती तुलसा पत्नी गौरीषंकर चौरसिया	वर्ड 10 बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले	पान की खेती	100000.00
----	--	--	------------------	---------	--	----------------	-----------

2.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	कुसुम पत्नी सुरेश चौरसिया	वार्ड 7 बिलौआ	-	-	-	-
3.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	श्रीमती सुसीला पत्नी गजाधर चौरसिया	वार्ड 8 बिलौआ	-	-	-	-
4.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	श्रीमती लक्ष्मी पत्नी हरिबल्लभ चौरसिया	वार्ड 10 बिलौआ	-	-	-	-
5.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	श्रीमती कमला पत्नी परसराम चौरसिया	वार्ड 13 बिलौआ	-	-	-	-
6.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री सुरेश चौरसिया	वार्ड 11 बिलौआ	-	-	-	-
7.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	श्रीमती सुधा पत्नी श्री कैलाष नारायण चौरसिया	वार्ड बिलौआ	-	-	-	-
8.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	श्रीमती रूकमणी भगवान	वार्ड 5 बिलौआ	-	-	-	-

9.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	श्रीमती मुन्नी पत्नी भागीरथ	वार्ड 9 बिलौआ	—	—	—	—
10.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत ऋण	श्रीमती सुनीता पत्नी राजेश	वार्ड 7 बिलौआ	—	—	—	—

Lo.kl tã rh 'kgjh jkstxkj ;kstukUrxãr %Mck dçk½ vãrxãr __.k i klr vf/kdkjh l ph
%ukuknsh l eg i ku dh [ksh½

1.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत	श्रीमती सुसीला राकेश चौरसिया	वार्ड 7 बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले	पान की खेती	100000.00
----	--	---------------------------------	------------------	---------	--	----------------	-----------

2.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत	श्रीमती कमला पत्नी नारायण	वार्ड 7 बिलौआ	-	-	-	-
3.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत	श्रीमती रानी देवी पत्नी जवाहरलाल चौरसिया	वार्ड 4 बिलौआ	-	-	-	-
4.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत	मुन्नीदेवी भगवानदास	वार्ड 4बिलौआ	-	-	-	-
5.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत	श्रीमती शंकुतलादेवी पत्नी सूर्य प्रकाश चौरसिया	वार्ड 7 बिलौआ	-	-	-	-
6.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत	श्रीमती बिमला पत्नी विरेन्द्र चौरसिया	वार्ड 5 बिलौआ	-	-	-	-
7.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत	श्रीमती मीरा पत्नी राजेन्द्र चौरसिया	वार्ड 5 बिलौआ	-	-	-	-
8.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत	श्रीमती मथुरा पत्नी बालीराम चौरसिया	वार्ड 4 बिलौआ	-	-	-	-

9.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत	श्रीमती कुन्तीदेवी पत्नी महेन्द्र चौरसिया	वार्ड 5 बिलौआ	—	—	—	—
10.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत	श्रीमती चन्द्रकली पत्नी हरगोविन्द	वार्ड 6 बिलौआ	—	—	—	—

v/; k; & rjg

i kf/kdkjh }kjk nh xbz fj; k; rka l fo/kkvka vumkuka ; k] eatij fd, i kf/kdkjka ds
i klr dRrkZvka dh l qph A

v- da	l gk; rk dk Lo: i	iklrdrk dk uke	irk	o"kl	iek.k	l gk; rk j'kf' k
1	2	3	4	5	6	7
1.	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	रामगोपाल पुत्र सामलिया चौरसिया	नगर बिलोआ-6	1991	विकलांग	150
2.	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	कलाबाई बेवा हरीबाबू शर्मा	..-7	1990	विधवा	150
3.	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	पुनियाबाई बेवा मंगलिया चौरसिया	..-4	1982	विधवा	150
4.	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	छिद्दीराम पुत्र काशीराम चौरसिया	..-5	1989	वृद्ध	150
5.	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	हरीबल्लभ पुत्र गणपत चौरसिया	..-5	1990	विकलांग	150
6.	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	गंगाबाई पत्नी शिवचरण शर्मा	..-4	1991	..	150
7.	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	कमलाबाई पत्नी नारायण चौरसिया	..-4	1994	..	150
8.	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	हरकोबाई बेवा मंशाराम चौरसिया	..-9	1995	विधवा	150
9.	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	मानोबाई बेवा सामलिया चौरसिया	..-4	1995	विधवा	150

	पेंषन/बृद्धा पेंषन					
10	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन/बृद्धा पेंषन	सुरेश कुमार पुत्र छत्रपाल कुशवाह	„-11	1995	विकलांग	150
11	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन/बृद्धा पेंषन	मथुरोबाई बेवा सुमेरू जाटव	„-2	1995	विकलांग	150
12	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन/बृद्धा पेंषन	दुर्गाबाई बेवा हरिवल्लभ चौरसिया	„-1	1995	विधवा	150
13	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन/बृद्धा पेंषन	बालकिशन पुत्र छोटैलाल शर्मा	„-8	1991	वृद्ध	150
14	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन/बृद्धा पेंषन	नेहनेसिंह पुत्र घमण्डी माहौर	„-11	1995	वृद्ध	150
15	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन/बृद्धा पेंषन	अशोक पुत्र हरीचरण चौरसिया	„-3	1994	विकलांग	150
16	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन/बृद्धा पेंषन	कुसुम पत्नी रामचन्द्र यादव	„-6	1995	विकलांग	150
17	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन/बृद्धा पेंषन	हीरोबाई बेवा रघुवर जाटव	नगर बिलौआ-3	1995	विकलांग	150
18	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन/बृद्धा पेंषन	पार्वतीबाई भग्गी जाटव	„-3	1995	विधवा	150
19	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	मानोबाई बेवा रामचरण चौरसिया	„-3	1995	वृद्ध	150

	पेंषन / बृद्धा पेंषन					
20	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	कृष्णाबाई पत्नी राधेश्याम चौरसिया	„-11	1995	विकलांग	150
21	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	भगरी पुत्र गोबिन्दी बघेले	„-9	1995	वृद्ध	150
22	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	दुर्गाबाई बेवा देवीराम चौरसिया	„-7	1995	वृद्ध	150
23	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	काशीबाई बेवा धनीराम चौरसिया	„-7	1995	विधवा	150
24	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	मुन्नीबाई बेवा किशोरी वैश्या	„-7	1995	विधवा	150
25	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	हीरोबाई बेवा मानसिंह कुशवाह	„-11	1995	वृद्ध	150
26	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	रमियाबाई बेवा मंगूराम कुशवाह	„-15	1995	विकलांग	150
27	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	श्यामबाई पत्नी भगवान चौरसिया	„-6	1995	वृद्ध	150
28	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	कल्लाराम पुत्र गनपतिया चौरसिया	„-4	1995	विकलांग	150
29	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	वैजन्तीबाई पत्नी कल्ला चौरसिया	„-4	1995	विकलांग	150

	पेंषन / बृद्धा पेंषन					
30	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	कस्तूरीबाई बेवा प्यारेलाल	„-5	1995	वृद्ध	150
31	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	बादामी बेवा भज्जीराम चौरसिया	„-8	1995	वृद्ध	150
32	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	कोसाबाई बेवा गोपीराम माहौर	„-8	1995	वृद्ध	150
33	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	जहांगीर खां पुत्र सरदार खां	„-14	1995	वृद्ध	150
34	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	पार्वती बेवा अनुददी चौरसिया	„-10	1995	वृद्ध	150
35	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	रामप्रसाद पुत्र गोकलिया चौरसिया	„-8	1995	वृद्ध	150
36	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	पुनियाबाई बेवा चोखाराम कुशवाह	„-15	1995	वृद्ध	150
37	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	जगूराम पुत्र गोबिन्दी प्रजापति	„-12	1995	वृद्ध	150
38	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	लक्ष्मीबाई बेवा नत्थूराम कसेरा	नगर बिलौआ-8	1995	वृद्ध	150
39	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	बालो बेवा दुर्गाप्रसाद चौरसिया	„-5	1995	विधवा	150

	पेंशन / बृद्धा पेंशन					
40	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	सोमवती बाई बेवा छोटैलाल धानुक	„-2	1996	विधवा	150
41	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	गोपीराम पुत्र भागीरथ चौरसिया	„-5	1995	वृद्ध	150
42	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	रामकली बेवा हरगोबिन्द चौरसिया	„-11	1995	वृद्ध	150
43	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	जमुनाबाई बेवा सुखलाल जाटव	„-2	1996	वृद्ध	150
44	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	जमुनाबाई बेवा नारायण शिवहरे	„-12	1996	वृद्ध	150
45	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	शकुन्तला पत्नी माधोसिंह यादव	„-9	1996	विकलांग	150
46	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	कल्लो बेवा छम्मरू जाटव	„-3	1996	वृद्ध	150
47	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	सुशीला बेवा कालीचरण यादव	„-6	1995	विकलांग	150
48	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	गोकुल प्रसाद पुत्र परसराम यादव	„-2	1995	वृद्ध	150
49	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	छिद्दीराम पुत्र माहरमा चौरसिया	„-1	1996	वृद्ध	150

	पेंशन / बृद्धा पेंशन					
50	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	द्रोपती बेवा रामप्रसाद यादव	„-1	1996	वृद्ध	150
51	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	बाबू खां पुत्र रहीम खां	„-1	1996	वृद्ध	150
52	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	छम्मनबाई पत्नी बाबूखां चौरसिया	„-1	1996	वृद्ध	150
53	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	बेटीबाई बेवा रतनलाल चौरसिया	„-1	1996	वृद्ध	150
54	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	भगवती बेवा देवहंस चौरसिया	„-1	1996	विधवा	150
55	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	गणेशीबाई बेवा बाबूलाल चौरसिया	„-4	1996	विधवा	150
56	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	विशुनाबाई बेवा मोतीलाल धानुक	„-13	1998	विधवा	150
57	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	बाबूलाल पुत्र खेमाराम चौरसिया	„-5	1998	वृद्ध	150
58	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	दकखोबाई बेवा रामप्रसादउ चौर.	„-8	1998	वृद्ध	150
59	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	पत्तोबाई बेवा फुन्दीराम चौरसिया	नगर बिलोआ-4	1998	विधवा	150

	पेंशन / बृद्धा पेंशन					
60	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	हीरालाल पुत्र मदारी चौरसिया	„-5	1998	वृद्ध	150
61	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	शान्तिबाई बेवा जीवाराम चौरसिया	„-10	1998	विधवा	150
62	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	आसंना पुत्री हीरालाल यादव	„-6	1998	विकलांग	150
63	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	सुशीलाबाई पत्नी श्रीलाल चौरसिया	„-5	1998	विधवा	150
64	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	श्रीलाल पुत्र कुन्नाराम चौरसिया	„-5	1998	वृद्ध	150
65	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	सरजूबाई बेवा प्रभूदयाल शर्मा	„-13	1998	विधवा	150
66	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	शांतीबाई बेवा रामचन्द्र शर्मा	„-4	1998	विधवा	150
67	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	कल्याणदास पुत्र मुरलीधर चौरसिया	„-14	1998	वृद्ध	150
68	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	पन्नूराम पुत्र गंजना जाटव	„-8	1998	वृद्ध	150
69	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	मकखोबाई बेवा खच्चूराम जाटव	„-2	1998	विधवा	150

	पेंशन/बृद्धा पेंशन					
70	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन/बृद्धा पेंशन	भगवती बेवा दुर्गाप्रसाद जाटव	„-1	1998	विधवा	150
71	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन/बृद्धा पेंशन	पार्वती बेवा बदलूराम यादव	„-7	1998	विधवा	150
72	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन/बृद्धा पेंशन	रामबाई बेवा बाबूलाल चौरसिया	„-9	1998	विधवा	150
73	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन/बृद्धा पेंशन	पार्वती बेवा मुलुआ चौरसिया	„-4	1998	विधवा	150
74	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन/बृद्धा पेंशन	कु. सीमा पुत्री हरीराम यादव	„-6	1998	विकलांग	150
75	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन/बृद्धा पेंशन	भगवती बेवा भीकाराम यादव	„-7	1998	विधवा	150
76	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन/बृद्धा पेंशन	लीलादेवी पत्नी मोतीलाल यादव	„-8	1998	विधवा	150
77	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन/बृद्धा पेंशन	सीमा बेवा सोमदत्त शर्मा	„-13	2000	विधवा	150
78	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन/बृद्धा पेंशन	सरस्वती पत्नी सीताराम चौरसिया	„-10	1998	वृद्ध	150
79	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	धन्तीबाई बेवा बाबूलाल धानुक	„-13	2000	विधवा	150

	पेंशन / बृद्धा पेंशन					
80	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	चन्द्रप्रकाश पुत्र नारायण शर्मा	नगर बिलोआ-8	1998	विकलांग	150
81	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	बुद्धाराम पुत्र सीताराम कुशवाह	„-10	1998	वृद्ध	150
82	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	सोनाबाई बेवा तीतुरिया जाटव	„-3	1998	विधवा	150
83	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	ग्यासोबाई बेवा चीमाराम चौरसिया	„-9	1998	विधवा	150
84	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	रामदेवी बेवा रोशनलाल चौरसिया	„-10	1998	वृद्ध	150
85	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	प्रेमाबाई बेवा बृजलाल प्रजापति	„-9	1998	वृद्ध	150
86	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	लुङकोबाई बेवा गोबिन्दी जाटव	„-3	1998	विधवा	150
87	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	जमुनाप्रसाद पुत्र सुन्दरलाल जाटव	„-1	1998	वृद्ध	150
88	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	बूदाबाई बेवा परमा कुशवाह	„-9	1998	वृद्ध	150
89	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	रामदेवी बेवा गौरीशंकर चौरसिया	„-9	1998	विधवा	150

	पेंशन / बृद्धा पेंशन					
90	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	काशीबाई बेवा रामनारायण चौरसिया	„-11	1998	विधवा	150
91	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	छीतूराम पुत्र नन्दराम ढींगर	„-13	1998	विकलांग	150
92	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	प्रेमाबाई बेवा भगवानसिंह चौरसिया	„-7	1998	विधवा	150
93	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	रामकली बेवा पन्नालाल धानुक	„-9	1998	वृद्ध	150
94	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	जगदीश पुत्र रामप्रसाद चौरसिया	„-10	1999	वृद्ध	150
95	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	सुमेरा पुत्र हरलाल प्रजापति	„-12	2000	वृद्ध	150
96	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	कलाबाई बेवा कल्लाराम चौरसिया	„-13	1999	वृद्ध	150
97	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	गरीबा पुत्र गुल्लाराम चौरसिया	„-12	1999	विकलांग	150
98	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	द्रोपतीबाई बेवा जुगनू चौरसिया	„-12	2001	वृद्ध	150
99	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	केताबाई बेवा किशनलाल कुशवाह	„-15	2001	वृद्ध	150

	पेंषन / बृद्धा पेंषन					
100	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	धनियाबाई बेवा परमानन्द कुशवाह	„-13	1999	वृद्ध	150
101	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	राजाबेटी बेवा आसीम खां	नगर बिलौआ-14	1998	विधवा	150
102	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	भरोसा पुत्र चन्दू बाथम	„-12	1998	वृद्ध	150
103	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	पन्तोबाई बेवा चेताराम जाटव	„-3	1999	वृद्ध	150
104	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	भग्गोबाई बेवा रामचरण चौरसिया	„-5	1999	वृद्ध	150
105	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	श्यामोबाई बेवा गगाराम चौरसिया	„-7	1999	विधवा	150
106	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	बुधियाबाई बेवा बैजनाथ चौरसिया	„-8	1999	वृद्ध	150
107	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	बाबूलाल पुत्र खेमा जाटव	„-2	1999	वृद्ध	150
108	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	शिवचरण पुत्र ग्यासिया चौरसिया	„-8	1999	वृद्ध	150
109	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	कलियाबाई बेवा कन्हैया चौरसिया	„-2	1998	वृद्ध	150

	पेंषन / बृद्धा पेंषन					
110	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	तुलसीबाई बेवा लल्लूराम माहौर	„-9	1998	वृद्ध	150
111	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	रामबाबू पुत्र ओझाराम यादव	„-6	1999	वृद्ध	150
112	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	काशीराम पुत्र नत्थूराम यादव	„-9	1999	वृद्ध	150
113	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	भग्गोबाई बेवा दूवाराम जाटव	„-3	1999	वृद्ध	150
114	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	सुखिया बेवा मंगाराम चौरसिया	„-4	2002	वृद्ध	150
115	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	मुनीरखां पुत्र बारे खां	„-9	1998	वृद्ध	150
116	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	मक्खोबाई बेवा किशोरीलाल जाटव	„-3	1998	वृद्ध	150
117	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	सोनू पुत्र केदार चौरसिया	„-7	1999	विकलांग	150
118	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	रूपाबाई बेवा गंगाराम कुशवाह	„-15	1999	विधवा	150
119	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	रामप्यारी बेवा भीकाराम केवट	„-11	1999	विधवा	150

	पेंशन / बृद्धा पेंशन					
120	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	सरजूबाई पत्नी रामसिंह चौहान	„-12	2002	वृद्ध	150
121	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	ग्याबाई बेवा रामस्वरूप चौरसिया	„-4	2001	वृद्ध	150
122	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	सूर्यप्रकाश पुत्र कमलेश शर्मा	नगर बिलौआ-6	1998	विकलांग	150
123	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	गणेशी बेवा गंगाराम कुशवाह	„-15	1999	विधवा	150
124	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन20	पार्वती बेवा बिरखा जाटव	„-3	1999	विकलांग	150
125	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	अनीता पत्नी शंकरलाल चौरसिया	„-1	2000	विकलांग	150
126	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	सोनीबाई बेवा यादराम कुशवाह	„-10	1998	विधवा	150
127	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	खच्चूराम पुत्र नन्दकिशोर चौरसिया	„-4	1996	वृद्ध	150
128	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	भगवानलाल पुत्र रामचरण शर्मा	„-13	2001	वृद्ध	150
129	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	प्रदीप कुमार पुत्र राकेश चौरसिया	„-9	1998	विकलांग	150

	पेंषन / बृद्धा पेंषन					
130	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	कु. सीता पुत्री छन्नूराम चौरसिया	„-4	1999	विकलांग	150
131	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	मनीष पुत्र श्यामलाल चौरसिया	„-4	1999	विकलांग	150
132	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	वीरेन्द्र पुत्र मदनलाल चौरसिया	„-8	1999	विकलांग	150
133	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	शीलाबाई पत्नी चुन्नीलाल राठौर	„-9	1999	वृद्ध	150
134	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	धनीराम पुत्र लल्लीराम धानुक	„-1	1999	वृद्ध	150
135	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	कु. हेमलता पुत्री भूराराम यादव	„-9	2000	विकलांग	150
136	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	कैलाशी बेवा रामा परिहार	„-9	1999	विधवा	150
137	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	दुग्गप्रसाद पुत्र रामचरण चौरसिया	„-1	1999	वृद्ध	150
138	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	राधा पुत्री अशोक चौरसिया	„-5	2001	विकलांग	150
139	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	बंटी पुत्र लालसिंह चौरसिया	„-14	2001	विकलांग	150

	पेंषन / बृद्धा पेंषन					
140	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	ब्रजमोहन पुत्र लालसिंह चौरसिया	„-14	2001	विकलांग	150
141	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	रामरती बेवा भजनलाल कुशवाह	„-11	2002	विधवा	150
142	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	पथूल बेवा काशीराम कुशवाह	„-11	1999	विधवा	150
143	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	पूनम पुत्री अशोक चौरसिया	नगर बिलौआ-4	1999	विकलांग	150
144	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	मूलियाबाई बेवा हरिचरण चौरसिया	„-3	1998	विधवा	150
145	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	गजेन्द्रसिंह पुत्र सुरेशचन्द्र चौरसिया	„-14	1999	विकलांग	150
146	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	लता पुत्री लालसिंह प्रजापति	„-12	2001	विकलांग	150
147	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	राजकुमारी पुत्री मोहनलाल चौरसिया	„-1	2001	विकलांग	150
148	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	रन्छोरा पुत्र रामचरण चौरसिया	„-1	2001	विकलांग	150
149	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	मुलियाबाई बेवा रामस्वरूप चौरसिया	„-2	2001	विधवा	150

	पेंशन / बृद्धा पेंशन					
150	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	भग्गोबाई बेवा शिवलाल जाटव	„-2	1998	विधवा	150
151	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	लीलाबाई पत्नी खच्चूराम चौरसिया	„-14	2000	विकलांग	150
152	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	बांकेलाल पुत्र हरनारायण चौरसिया	„-6	1996	वृद्ध	150
153	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	चन्नीराम पुत्र जगन्नाथ चौरसिया	„-7	1999	वृद्ध	150
154	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	गुपला पुत्र खेमाराम कुशवाह	„-12	1999	वृद्ध	150
155	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	सूबेदार पुत्र भगवान कुशवाह	„-10	1998	विकलांग	150
156	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	हरदयाल पुत्र बंदीप्रसाद कुशवाह	„-14	2000	वृद्ध	150
157	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	ललिता पत्नी पुरुषोत्तम यादव	„-7	2001	विकलांग	150
158	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	बेदाबाई बेवा बुन्दा धानुक	„-9	1996	विधवा	150
159	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	बिलासी पुत्र खुशाली जाटव	„-2	1996	वृद्ध	150

	पेंशन / बृद्धा पेंशन					
160	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	महबाबू खां पुत्र इमाम खां	„-14	2000	वृद्ध	150
161	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	राजाबेटी बेवा माधौराम चौरसिया	„-11	1999	विधवा	150
162	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	बद्रीप्रसाद पुत्र रामचरण ढीमर	„-13	2002	वृद्ध	150
163	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	आनन्दी पत्नी रामचरण बरेठा	„-12	2002	वृद्ध	150
164	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	भुगियाबाई बेवा मंगाराम प्रजापति	नगर बिलौआ-12	1996	विधवा	150
165	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	कु. रामोबाई पुत्री रामगोपाल चौर.	„-9	1999	विकलांग	150
166	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	कलाबाई बेवा हरमुखा माहौर	„-10	1999	वृद्ध	150
167	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	कमला बेवा रामदयाल चौरसिया	„-5	1998	विधवा	150
168	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	हरगोबिन्द पुत्र दुर्गाप्रसाद चौरसिया	„-14	1999	वृद्ध	150
169	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	धनवन्ती बेवा सुखलाल कुशवाह	„-10	1999	विधवा	150

	पेंषन / बृद्धा पेंषन					
170	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	हस्सोबाई बेवा सुहान खां	„-14	1999	विधवा	150
171	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	रामस्वरूप पुत्र भजनलाल चौरसिया	„-13	1999	वृद्ध	150
172	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	बेटीबाई बेवा देवीराम चौरसिया	„-10	1998	विधवा	150
173	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	कु. सुनीता पुत्री मुन्नालाल कुशवाह	„-10	1999	विकलांग	150
174	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	रामश्री पत्नी खुशाली कुशवाह	„-12	1996	वृद्ध	150
175	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	रामोबाई पत्नी रामसिंह कुशवाह	„-15	1996	वृद्ध	150
176	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	विमलादेवी बेवा मनोहरलाल चौर.	„-4	2000	विधवा	150
177	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	गिरजादेवी बेवा दामोदर चौरसिया	„-9	2002	विधवा	150
178	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन / बृद्धा पेंषन	राजाबेटी बेवा भीका माहौर	„-9	2002	विधवा	150
179	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	विमलादेवी बेवा लालसिंह	„-7	2002	विधवा	150

	पेंशन / बृद्धा पेंशन					
180	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	मुन्नीबाई बेवा सीताराम चौरसिया	„-1	2002	विधवा	150
181	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	भुज्जोबाई बेवा रोहतलाल नाथ	„-15	2003	विधवा	150
182	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	भानदेई बेवा लक्ष्मीनारायण चौरसिया	„-6	2003	विधवा	150
183	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	कु. राधा पुत्री लक्ष्मीनारायण चौर.	„-6	2003	विकलांग	150
184	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	मुन्नीबाई बेवा छिंगाराम चौरसिया	„-8	1999	विधवा	150
185	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	सगुनाबाई बेवा बाबूलाल चौरसिया	नगर बिलौआ-1	1999	विधवा	150
186	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	रामोबाई बेवा फौजाराम जाटव	„-2	1996	विधवा	150
187	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	कुचनियां बेवा धन्नाराम जाटव	„-2	1996	विधवा	150
188	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	जनुकाबाई बेवा छीतू जाटव	„-2	1996	विधवा	150
189	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	तिजिया बेवा दलुआ जाटव	„-3	1996	विधवा	150

	पेंशन / बृद्धा पेंशन					
190	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	शांतिबाई बेवा किशनलाल यादव	„-2	1999	विधवा	150
191	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	सुशीला बेवा शंकरलाल कोटिया	„-3	1999	विधवा	150
192	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	उदिया बेवा रज्जू जाटव	„-2	1996	विधवा	150
193	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	रामश्री बेवा हरगोबिन्द कोटिया	„-3	1999	विधवा	150
194	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	राजाबेटी बेवा जगन्नाथ चौरसिया	„-4	1999	विधवा	150
195	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	गोमतीबाई बेवा काशीराम चौरसिया	„-4	1998	विधवा	150
196	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	मोहनिया पत्नी हीरालाल चौरसिया	„-5	1998	वृद्ध	150
197	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	आनन्दी पत्नी लोहरे कुशवाह	„-10	1999	वृद्ध	150
198	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	सावित्री देवी बेवा माखनलाल	„-10	1999	विधवा	150
199	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	कमला बेवा गुलाबसिंह कुशवाह	„-15	1998	विधवा	150

	पेंशन / बृद्धा पेंशन					
200	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	सावित्री बेवा कैलाश शर्मा	„-13	1999	विधवा	150
201	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	बिट्टोबाइ बेवा गंगाप्रसाद कुशवाह	„-13	1999	विधवा	150
202	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	रामकोबाई बेवा देवलाल कुशवाह	„-14	1996	विधवा	150
203	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	रामकली बेवा मोतीराम नामदेव	„-14	1999	विधवा	150
204	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	शांतिदेवी बेवा छोटैलाल कुशवाह	„-14	1998	विधवा	150
205	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	कपूरीबाई बेवा मंगलसिंह कुशवाह	„-15	1999	विधवा	150
206	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	बाओ बेवा महिपाल कुशवाह	नगर बिलौआ-15	1999	विधवा	150
207	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	बादामी बेवा खेमसिंह कुशवाह	„-15	1998	विधवा	150
208	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	रामकली बेवा विद्याराम कुशवाह	„-11	2000	विधवा	150
209	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	रामदेवी बेवा सीताराम चौरसिया	„-3	1996	विधवा	150

	पेंशन / बृद्धा पेंशन					
210	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	पुनियाबाई पत्नी रामकिशन साहू	„-12	1999	विधवा	150
211	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	लक्ष्मीबाई बेवा प्रभूदयाल चौरसिया	„-11	1999	विधवा	150
212	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	पारोबाई बेवा किशनलाल कुशवाह	„-13	1998	विधवा	150
213	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	पार्वतीबाई पत्नी रामसिंह चौरसिया	„-9	1999	विधवा	150
214	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	भग्गोबाई बेवा चोखेलाल चौरसिया	„-10	1998	विधवा	150
215	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	वेणीबाई बेवा पतुआराम चौरसिया	„-13	2001	विधवा	150
216	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	आनन्दी बेवा छीतरिया कुशवाह	„-10	1998	विधवा	150
217	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	रामदास पुत्र विद्याराम कुशवाह	„-11	2003	विकलांग	150
218	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	रामबेटी बेवा नत्थूराम चौरसिया	„-4	2003	विधवा	150
219	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	रामभाऊ बेवा बल्लोराम चौरसिया	„-1	1999	विधवा	150

	पेंशन / बृद्धा पेंशन					
220	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	भोगीबाई बेवा बालमुकुन्दशर्मा	„-7	1999	विधवा	150
221	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	कस्तूरी बेवा माखनलाल चौरसिया	„-11	1998	विधवा	150
222	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	जनकश्री पत्नी महेन्द्र कुशवाह	„-10	1999	विधवा	150
223	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	सेवकुंअर पत्नी बद्रीप्रसाद कुशवाह	„-14	1999	वृद्ध	150
224	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	गबलाबाई पत्नी जहांगीर खां	„-14	1999	वृद्ध	150
225	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	सिरनाम सिंह पुत्र छोटू कुशवाह	„-10	1998	विकलांग	150
226	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	हरप्यारी बेवा भोटूराम कुशवाह	„-14	1998	विधवा	150
227	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	सुखदेवी बेवा शिवशंकर अग्रवाल	नगर बिलौआ-7	2003	विधवा	150
228	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	रामकटोरी बेवा हरविलास	„-10	2003	विधवा	150
229	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	प्रेमाबाई बेवा श्रीलाल यादव	„-10	1999	विधवा	150

	पेंशन / बृद्धा पेंशन					
230	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	दक्खोबाई बेवा चीमाराम चौरसिया	„-8	1999	विधवा	150
231	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	पुनिया बेवा ग्यासीराम कुशवाह	„-11	1998	विधवा	150
232	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	सरजूबाई बेवा भगवानलाल कुशवाह	„-15	1998	विधवा	150
233	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	गनपत राम पुत्र रामनाथ कुशवाह	„-13	1999	विकलांग	150
234	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	जानकीबाई बेवा छिद्दीराम यादव	„-1	2000	विधवा	150
235	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	गणेशीबाई बेवा नारायण चौरसिया	„-12	2001	विधवा	150
236	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	रामस्वरूप पुत्र भोंटूराम चौरसिया	„-7	1999	वृद्ध	150
237	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	रामकुंवर बेवा गोरेलाल बघेले	„-15	1998	विधवा	150
238	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन / बृद्धा पेंशन	मदनलाल पुत्र प्रभूदयाल शर्मा	„-7	2003	विकलांग	150
239	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा	महादेवी पत्नी कंचनसिंह कुशवाह	„-11	2003	वृद्ध	150

	पेंषन/बृद्धा पेंषन					
240	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन/बृद्धा पेंषन	नारायण पुत्र घमण्डी जाटव	„-1	2004	विकलांग	150
241	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन/बृद्धा पेंषन	गोनाबाई बेवा गोकलिया चौरसिया	„-10	2002	वृद्ध	150
242	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन/बृद्धा पेंषन	रामेश्वर दयाल पुत्र रामप्रसाद यादव	„-1	2004	विकलांग	150
243	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन/बृद्धा पेंषन	रामसहाय पुत्र लल्लूराम चौरसिया	„-11	2004	वृद्ध	150
244	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन/बृद्धा पेंषन	मुन्नीबाई बेवा रामदयाल जाटव	„-3	2004	विधवा	150

v/; k; & rjg

i kf/kdkjh }kjk nh xbl fj; k; rka l fo/kkvka vuqkuka ; k] eatij fd,
i kf/kdkjka ds iklr dRRkka/ka dh l pph

Ø	l gk; rk dk Lo: i	i klr drkz dk uke	irk	o"kl	i ek.k	l gk; rk j kf' k
1.	मातृत्व सहायता	श्रीमती अनीता चौरसिया	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
2.	मातृत्व सहायता	„ भूरीबाई धानुक	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
3.	मातृत्व सहायता	„ गीता यादव	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
4.	मातृत्व सहायता	„ किरण माहौर	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
5.	मातृत्व सहायता	„ रजनी चौरसिया	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
6.	मातृत्व सहायता	„ हेमलता माहौर	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
7.	मातृत्व सहायता	„ ममता कुशवाह	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
8.	मातृत्व सहायता	„ सुनीता बाई	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
9.	मातृत्व सहायता	„ अनीता यादव	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
10	मातृत्व सहायता	„ सीमा	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने	500

					वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	
11	मातृत्व सहायता	„ चित्रादेवी यादव	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
12	मातृत्व सहायता	„ विनीता चौरसिया	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
13	मातृत्व सहायता	„ पप्पी चौरसिया	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
14	मातृत्व सहायता	„ राजकुमारी यादव	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
15	मातृत्व सहायता	„ लक्ष्मी माहौर	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
16	मातृत्व सहायता	„ ऊषा माहौर	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
17	मातृत्व सहायता	„ अनीता चौरसिया	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
18	मातृत्व सहायता	„ सरोज यादव	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
19	मातृत्व सहायता	„ सोनम यादव	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
20	मातृत्व सहायता	„ सीमा चौरसिया	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने	500

					वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	
21	मातृत्व सहायता	श्रीमती रूकमणी चौरसिया	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
22	मातृत्व सहायता	„ कैलाशीबाई मिलन	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
23	मातृत्व सहायता	„ पार्वती जाटव	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
24	मातृत्व सहायता	„ पार्वती कुशवाह	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
25	मातृत्व सहायता	„ सुनीता देवी	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
26	मातृत्व सहायता	„ ममता कुशवाह	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
27	मातृत्व सहायता	„ रुखसाना बेगम	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
28	मातृत्व सहायता	„ शान्तोबाई चौरसिया	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
29	मातृत्व सहायता	„ विमलाबाई कुशवाह	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
30	मातृत्व सहायता	„ रचना चौरसिया	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने	500

					वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	
31	मातृत्व सहायता	„ लक्ष्मीबाई धानुक	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
32	मातृत्व सहायता	„ ममता धानुक	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
33	मातृत्व सहायता	„ मंजू शर्मा	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
34	मातृत्व सहायता	„ पुष्पादेवी जाटव	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
35	मातृत्व सहायता	„ सीमा शर्मा	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
36	मातृत्व सहायता	„ लक्ष्मीबाई चौरसिया	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
37	मातृत्व सहायता	„ ममता शर्मा	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
38	मातृत्व सहायता	„ अरुणा चौरसिया	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
39	मातृत्व सहायता	„ शकुन्तला यादव	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
40	मातृत्व सहायता	„ गुड्डडी कुशवाह	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने	500

					वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	
41	मातृत्व सहायता	„ विमला चौरसिया	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
42	मातृत्व सहायता	„ कुसुम चौरसिया	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
43	मातृत्व सहायता	„ सुशीला चौरसिया	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
44	मातृत्व सहायता	„ पार्वती चौरसिया	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
45	मातृत्व सहायता	„ ओमवती कुशवाह	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
46	मातृत्व सहायता	श्रीमती अनीता कुशवाह	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
47	मातृत्व सहायता	„ बबीता कुशवाह	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
48	मातृत्व सहायता	„ कंचन चौरसिया	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
49	मातृत्व सहायता	„ प्रीति चौरसिया	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
50	मातृत्व सहायता	„ अनीता चौरसिया	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने	500

					वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	
51	मातृत्व सहायता	„ मीनू चौरसिया	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
52	मातृत्व सहायता	„ सारिका	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
53	मातृत्व सहायता	„ मनीषा चौरसिया	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
54	मातृत्व सहायता	„ गीताबाई	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
55	मातृत्व सहायता	„ गायत्री यादव	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
56	मातृत्व सहायता	„ शिखा चौरसिया	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
57	मातृत्व सहायता	„ सुनीता चौरसिया	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
58	मातृत्व सहायता	„ राधा देवी	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
59	मातृत्व सहायता	„ ममता	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
60	मातृत्व सहायता	„ कमलाबाई	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने	500

					वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	
61	मातृत्व सहायता	„ मीना	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
62	मातृत्व सहायता	„ ऋतु	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
63	मातृत्व सहायता	„ मिथलेश	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
64	मातृत्व सहायता	„ पुष्पा	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
65	मातृत्व सहायता	„ गिरजा	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500
66	मातृत्व सहायता	„ सीता	बिलौआ	2004-05	गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले एवं प्रथम व द्वितीय प्रसव का जन्म प्रमाण पत्र	500

v-dā	l gk; rk dk Lo: i	i klrdrkz dk uke	i rk	o"kl	i æk.k	l gk; rk j kf' k
1	2	3	4	5	6	7

1.	परिवार सहायता	श्रीमती रामप्यारी साहू	पुराना पुरा, वार्ड नं. 5 बिलौआ	2004-05	पति की आकस्मिक मृत्यु के कारण	10000.00
2.		श्रीमती मीरा बाई	होली का पुरा, बार्ड नं. 10 बिलौआ	2004-05	पति की आकस्मिक मृत्यु के कारण	10000.00
3.		श्रीमती दख्खो बाई चौरसिया	होली का पुरा, बार्ड नं. 10 बिलौआ	2004-05	पति की आकस्मिक मृत्यु के कारण	10000.00
4.		श्रीमती इमर्ती चौरसिया	खिड़की का पुरा, वार्ड नं. 8 बिलौआ	2004-05	पति की आकस्मिक मृत्यु के कारण	10000.00
5.		श्रीमती सगुन कुषवाह	लीला कोलू बार्ड नं. 15 बिलौआ	2004-05	पति की आकस्मिक मृत्यु के कारण	10000.00
6.		श्रीमती शीलाबाई चौरसिया	पुराना पुरा, बार्ड नं. 14 बिलौआ	2004-05	पति की आकस्मिक मृत्यु के कारण	10000.00

7.		श्रीमती गीतादेवी चौरसिया	नया पुरा, बार्ड नं. 3 बिलौआ	2004-05	पति की आकस्मिक मृत्यु के कारण	10000.00
8.		श्रीमती सागोबाई प्रजापति	शांत नगर बार्ड नं. 14 बिलौआ	2005-06	पति की आकस्मिक मृत्यु के कारण	10000.00
9.		श्रीमती सुन्दर बाई चौरसिया	बस स्टेण्ड रोड बार्ड नं. 9 बिलौआ	2005-06	पति की आकस्मिक मृत्यु के कारण	10000.00

नोट :

इस शीर्ष में नगर पालिका द्वारा किसी दुर्घटना , आग-बाढ़ आदि से प्रभावित व्यक्ति को दी गई सहायता , संस्था को दिये गये अनुदान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था आदि की जानकारी दी जाना है।

2.	स्थापना शाखा	<ol style="list-style-type: none"> 1. कार्यरत कर्मचारियों की व्यक्तिगत नस्तियों एवं सेवा पुस्तिका उपलब्ध है। 2. अंशदान पंजी, संचालनालय से प्राप्त ड्राफ्ट रजि., ऋण रजिस्टर, सेवा निवृत्त रजिस्टर, सी.एल. अवकाष रजिस्टर, वेतन वृद्धि रजिस्टर उपलब्ध है। 3. चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के सीधी भर्ती एवं पदोन्नति सम्बन्धी रोस्टर रजिस्टर उपलब्ध है। 4. कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि का रजिस्टर एवं पास बुक संधारित है। 	—''—
3.	लेखा शाखा	<ol style="list-style-type: none"> 1. लेखापाल कैषबुक, संचित निधि कैषबुक, सी. एम.ओ. लेज, सा.सु.पै./रा.वृ.पै./परिवार सहायता,मातृत्व सहायता, स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना की कैषबुक उपलब्ध है। 2. आय-व्यय खतौनी 3. अमानत पंजी, अग्रिम पंजी, अनुदान पंजी, विनियोजन पंजी, ऋण पंजी, जी.पी.एफ. रजिस्टर, एवं पासबुक उपलब्ध है। 4. वाणिज्य कर नस्ती, आयकर नस्ती, वृत्ति कर पंजी, आय-व्यय बजट नस्ती, व्हाउचरों की नस्ती, वर्ष वार पृथक-पृथक संधारित होकर उपलब्ध है। 	—''—

4.	राजस्व शाखा	<p>1. सम्पतिकर डिमांड रजिस्टर, समेकित कर डिमांड रजि0 भवन भूमि, एवं दुकान लायसेंस फीस (किराया) डिमांड रजि0 जल कर डिमांड रजिस्टर 2005 तक पृथक-पृथक संचारित हैं।</p> <p>2. सम्पतिकर निर्धारण नस्ती, नामान्तरण नस्तियाँ, वर्ष 1996 से वर्ष 2005 तक पृथक-पृथक संधारित है।</p> <p>3. बी.पी.एल. राषन कार्ड, अन्त्योदय राषन कार्ड, साधारण राषन कार्ड की पंजिया बार्ड क्र.1 से 18 तक वर्ष 1996 से वर्ष 2005 तक पृथक-पृथक संधारित हैं।</p>	—''—
5.	लोक निर्माण शाखा	<p>1. विभिन्न कराये गये निर्माण कार्यों की पंजिया एवं नस्तियां वर्ष 1996 से 2005 तक पृथक-पृथक संधारित है।</p> <p>2. दायरा अनुसार वर्ष 19996 तक 2005 तक की भवन निर्माण संबंधी नस्तियां उपलब्ध है।</p>	—''—
6.	जलकार्य शाखा	<p>नल कनैक्शन पंजी एवं नस्तियां, नल कनैक्शन लेजर पंजी शाखा से सम्बन्धित सामग्री क्रय संबंधी नस्तियाँ वर्ष 1996 से 2005 तक पृथक-पृथक संधारित है।</p>	—''—

7.	स्वास्थ्य शाखा	<ol style="list-style-type: none"> 1. मध्यान्ह भोजन व्यवस्था की नस्ती एवं पंजी वर्ष 2003 से संधारित है। 2. वाहनों आदि की मेंटीनेष सम्बन्धी पंजी एवं नस्ती संधारित हैं। 3. जन्म मृत्यु पंजीयन की पंजिया एवं नस्ती वर्ष 1981 से 2005 तक संधारित होकर उपलब्ध है। 4. वर्ष 1996 से विद्युत विलों के भुगतान सम्बन्धी नस्ती संधारित हैं। 	—“—
8.	स्टोर शाखा	<ol style="list-style-type: none"> 1. दायरा अनुसार सामग्री क्रय करने, सामग्री प्रदाय करने, स्टेशनरी, डीजल क्रय सम्बन्धी पंजी एवं नस्तियों वर्ष 1995-96 से वर्ष 2005 तक पृथक-पृथक संधारित है। 2. न्यायालयीन प्रकरण पंजी एवं नस्तियों वर्ष 1996 से 2005 संधारित है। 	—“—
9.	योजना शाखा	<ol style="list-style-type: none"> 1. स.सु.पै. परिवार सहायता, मातृत्व सहायता बी.पी. एल.सर्वे सम्बन्धी आवेदन पत्र, पंजी एवं नस्तियों वर्ष 1996 से वर्ष 2005 तक पृथक-पृथक संधारित है। 	—“—

v/; k; & i l n g

ukxfjdka dks l puk i klr djus ds fy; s i kj k l fo/kk, a

अ.क्र.	सुविधा	प्रभारी का नाम	सूचना प्राप्ति का समय	टेलीफोन नम्बर
1	2	3	4	5
1.	सूचना काउन्टर	श्रीमती हेमलता चौरसिया निम्न श्रेणी लिपिक	दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक	957524-270217
2.		श्री सीताराम राठौर सहायक राजस्व निरीक्षक	दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक	957524-270217

v/; k; &l ksyg

ykd l ipuk vf/kdkfj; ka ds uke] i nuke rFkk vl;

v- da	uke	Inuke	VsyhOku uEcj	b&esy irk	dk; kÿ; irk	feyus dk le;
1	2	3	4	5	6	7
1.	महेश प्रसाद दीक्षित लोक सूचना अधिकारी	सी.एम.ओ.	957524-270217	—	नगर पंचायत बिलौआ	दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक
2.	हेमलता चौरसिया सहायक लोक सूचना अधिकारी	निम्न श्रेणी लिपक	957524-270217	—	नगर पंचायत बिलौआ	दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक
3.	रवीन्द्र कुमार जैन अपीलीय अधिकारी	डप संचालक नगरीय प्रशासन कमरा नं. 405 मोती महल ग्वालियर	0751- 2452709	—	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मोतीमहल ग्वालियर	कार्यालयीन समय 11 से 4

v/; k; &l =g

vU; l ipuk; a

- (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कोई भी नागरिक नगर पालिका परिषद द्वारा नियुक्त लोक सूचना अधिकारी /सहायक सूचना अधिकारी को विहित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा। आवेदन पत्र का फार्म सूचना अधिकारी से निःशुल्क / सशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र की रसीद प्रदान की जावेगी। आवेदक को अभिलेखों की प्रतिलिपि का निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा। गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले परिवारों से निःशुल्क (आवेदन शुल्क) नहीं लिया जावेगा।

अधिनियम 2005 की धारा 8 में वर्णित कारणों से आवेदक द्वारा चाही गई सूचना/ अभिलेखों की प्रति से इंकार किया जा सकता है, जिसकी लिखित सूचना आवेदक को दी जावेगी।

- (2) नगर पालिका के नीतिगत विनिष्चयों, नगरीय विकास योजनाओं एवं लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा प्रशासनिक सुधार के लिये नागरिकों के रचनात्मक प्रस्ताव एवं सुझाव की वांछना करना है, व नागरिक लोक सूचना अधिकारी के पास रखी सुझाव पुस्तक में अपना सुझाव अंकित कर सकता है, या लिखित में दे सकता।
- (3) नगर पालिका परिषद प्रेसीडेंट इन-कॉंसिल एवं समितियों की बैठक के कार्यवृत्त आम नागरिकों की जानकारी व अवलोकन हेतु नगर पालिका कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित किये जाते हैं, व उनका निःशुल्क निरीक्षण कर सकेगें।
- (4) नगर पालिका के करों से सम्बन्धित एसेसमेन्ट व डिमाण्ड रजिस्टर का कम्प्यूटराईज्ड करने का प्रयास किया जावेगा। व अन्य ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों की व्यवस्था भविष्य में की जावेगी, जिससे नागरिकगण सूचना के अधिकार के अंतर्गत त्वरित व सुगमता से जानकारी प्राप्त कर सके।
- (5) नगर पालिका ने नागरिकों के कार्यों हेतु सिटीजन चार्टर का प्रकाशन किया है। नागरिकों से अनुरोध है कि, वे अपने कार्य भवन निर्माण, नल कनेक्शन, सफाई, प्रकाश, करों आदि के आवेदन निर्धारित प्रारूप, वांछित अभिलेखों व फीस के साथ प्रस्तुत करें। जिससे उनके आवेदन निर्धारित समय-सीमा से निराकृत हो सके।
- (6) अन्य।


dk; kly; uxj i pk; r fcyk~~vk~~

l ~~pk~~ dk

vf/kdkj

vf/kfu; e 2005

e~~l~~; wy



उच्च श्रेणी लिपिक
(रिक्त)
निम्न श्रेणी लिपिक
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
(भृत्य)

सहा.राजस्व निरीक्षक

सफाई कर्मचारी

पम्प अटेंडेंट
लाईनमैन

शिक्षाकर्मी